लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण

विषयः— भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1533 (अ), दिनांक 14 सितम्बर 2006 के प्रावधानों के तहत् मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम—भास्करपारा, खड़पारा, बड़सरा, कुर्रीडीह, कुसमुसी, धनौली खुर्द एवं केवरा, तह.—भैयाथान, जिला—सूरजपुर (छ.ग.) में भास्करपारा ओपन कास्ट एवं अण्डरग्राउण्ड कोल माईन कुल उत्पादन क्षमता—1.0 एम.टी.पी.ए. के माईनिंग लीज क्षेत्र 932 हेक्टेयर के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु तारीख 09/11/2022, दिन—बुधवार को पूर्वान्ह 11:00 बजे से स्थान—शासकीय हाई स्कूल के निकट ग्राम केवरा, वि0खं0 भैयाथान, जिला—सूरजपुर (छ.ग.) में आयोजित लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण :—

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1533 (अ), दिनांक 14 सितम्बर 2006 के प्रावधानों के तहत् मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम—भास्करपारा, खड़पारा, बड़सरा, कुर्रीडीह, कुसमुसी, धनौली खुर्द एवं केवरा, तह.—भैयाथान, जिला—सूरजपुर (छ.ग.) में भास्करपारा ओपन कास्ट एवं अण्डरग्राउण्ड कोल माईन कुल उत्पादन क्षमता—1.0 एम.टी.पी.ए. के माईनिंग लीज क्षेत्र 932 हेक्टेयर के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने बावत् लोक सुनवाई श्री सागर सिंह, अनुविभागीय दण्डाधिकारी(रा0), भैयाथान जिला—सूरजपुर (छ.ग.) की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई के दौरान श्री प्रकाश कुमार रबड़े, क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, अंबिकापुर, श्री नरेन्द्र पैकरा (ए.डी.एम. सूरजपुर) श्री सागर सिंह, अनुविभागीय दण्डाधिकारी (रा0), भैयाथान, जिला—सूरजपुर (छ.ग.) श्री ए.के. चतुर्वेदी, परियोजना प्रस्तावक, श्री विनोद कुमार चौधरी परियोजना प्रस्तावक के सलाहकार/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत सरपंच, सम्मानीय जन प्रतिनिधि तथा आसपास के गणमान्य नागरीक/ग्रामवासी की उपस्थिति में तारीख 09/11/2022, दिन—बुधवार को पूर्वान्ह 11:00 बजे से स्थान—शासकीय हाई स्कूल के निकट ग्राम केवरा, वि0खं0 भैयाथान, जिला—सूरजपुर (छ.ग.) में लोक सुनवाई प्रारम्भ हुई। लोक सुनवाई के दौरान कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन के साथ आरंभ की गई। लोक सुनवाई प्रारंभ के समय लगभग 250 जनसामान्य उपस्थित हुए तथा लोक सुनवाई के दौरान लगभग 1500 जनसामान्य उपस्थित हुए। लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :—

1. लोक सुनवाई प्रारंभ के साथ ही उपस्थित लोगों की उपस्थिति दर्ज कराने की प्रक्रिया आरंभ की गई।

सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अंबिकापुर द्वारा उपस्थित जनसमुदाय से लोक सुनवाई के दौरान कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु मास्क का उपयोग किया जाना व समय—समय पर सेनेटाईजर का उपयोग करने बावत् अनुरोध किया गया। साथ ही ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 के तहत् आवेदक द्वारा किये गये आवेदन, परियोजना से संबंधित रखे गये ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट, समरी तथा लोक सुनवाई की सूचना प्रकाशन की जानकारी के संबंध में अवगत कराया गया कि मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम—भास्करपारा, खड़पारा, बड़सरा, कुर्रीडीह, कुसमुसी, धनौली खुर्द एवं केवरा, तह.—भैयाथान, जिला—सूरजपुर (छ.ग.) में भास्करपारा ओपन कास्ट एवं

अण्डरग्राउण्ड कोल माईन कुल उत्पादन क्षमता–1.0 एम.टी.पी.ए. के माईनिंग लीज क्षेत्र 932 हेक्टेयर के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु टी.ओ.आर.जारी दिनांक 31/01/2022 के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक/डायरेक्टर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोकसुनवाई कराने के सम्बंध में मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर मे उद्योग द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र मुख्यालय में प्राप्ति दिनांक 08/08/2022 के परिपेक्ष्य में मुख्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर द्वारा पत्र दिनांक 12/08/2022 के माध्यम से खदान की लोकसुनवाई कराने हेतु निर्देश दिये गये। कार्यालय कलेक्टर, सूरजपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.) के पत्र दिनांक 03/10/2022 के द्वारा परियोजना की लोकसुनवाई की तारीख 09/11/2022 को स्थान–शासकीय हाई स्कूल के निकट ग्राम केवरा, वि0खं0 भैयाथान, जिला–सूरजपुर (छ.ग.) में नियत की गई। परियोजना की ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार की हिन्दी व अंग्रेजी भाषा की प्रतियां तथा सीडी सहित अवलोकनार्थ डॉयरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली, साईटिस्ट 'डी', एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अरण्य भवन, नार्थ ब्लाक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, कार्यालय कलेक्टर, सूरजपुर, जिला–सूरजपुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कार्यालय, सूरजपुर, जिला–सूरजपुर, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भैयाथान, जिला–सूरजपुर (छ.ग.), खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), सूरजपुर, जिला–सूरजपुर, कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सूरजपुर, जिला–सूरजपुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, भैयाथान, तथा ओड़गी, जिला–सूरजपुर, सरपंच/सचिव, ग्रामपंचायत– भास्करपारा, खड़पारा, बड़सरा, कुर्रीडीह, कुसमुसी, धनौली खुर्द एवं केवरा, तह.– भैयाथान, जिला–सूरजपुर (छ.ग.), सरपंच/सचिव, ग्रामपंचायत– धरसेड़ी, तह.–ओड़गी, जिला–सूरजपुर (छ.ग.), सदस्य सचिव, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, पर्यावास भवन, नार्थ ब्लाक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.) एवं क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, कन्या परिसर रोड, शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के पास, नमनाकला गंगापुर, तह.–अंबिकापुर, जिला–सरगुजा (छ.ग.) में रखी गई थी।
लोक सुनवाई सूचना का प्रकाशन भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपालन में दिनांक 07/10/2022 को मुख्य राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र 'पायोनियर' के दिल्ली संस्करण एवं एक क्षेत्रीय समाचार पत्र 'दैनिक भास्कर' के बिलासपुर संस्करण में परियोजना के संबंध में सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु 30 दिवस का समय देते हुए ''सर्व संबंधितों को सूचना'' का प्रकाशन कराया गया। जिसकी सूचना संबंधित ग्रामपंचायतों को भी प्रेषित की गई।

2. अनुविभागीय दण्डाधिकारी (रा0) द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित जन सामान्य के समक्ष परियोजना प्रस्तावक को जानकारी/प्रस्तुतीकरण हेतु आमंत्रित किया गया।
3. परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री विनोद कुमार चौधरी परियोजना प्रस्तावक के सलाहकार/प्रतिनिधि, द्वारा परियोजना के संबंध में निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत की गई :–

मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (पीआईएल) एक प्राईवेट लिमिटेड कंपनी है। जिसकी स्थापना वर्ष 1980 की गई थी। भारत में खनन, इस्पात और बिजली के क्षेत्रों में अग्रणी संस्थान है। भास्करपारा कोयला ब्लॉक छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला के

भैयाथान तहसील अंतर्गत ग्राम भास्करपारा, खडपारा, बड़सरा कुर्रीडीह, कुसमुसी, धनौली–खुर्द, केंवरा एवं ओड़गी तहसील अंतर्गत धरसेड़ी, ग्राम पंचायत के कुदरीपारा ग्रामों में झिलमिली कोयला क्षेत्र में पूर्वी निरंतरता में स्थित है। भास्करपारा कोयला ब्लॉक भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के निहित आदेश संख्या NA-104/5/2021-NA दिनांक 18.11.2021 के वाणिज्यिक उपयोग हेतु ई–नीलामी प्रकिया के तहत् संस्थान को आबंटित किया है। भास्करपारा 1.0 एम. टी. पी. ए. की उत्पादन क्षमता के साथ खुली सह भूमिगत खदान के जरिये खनन कार्यो का संचालन करने की योजना बनाई गई है और खनन योजना को सीसीओ, एमओसी के पत्र सं. एमआईएनईसीटी/एपीपी00208/2021 दिनांक 03.11.2021 द्वारा सैद्धांतिक अनुमोदन दिया गया है। प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड 1.0 एमटीपीए (0.76 एमटीपीए खुली खदान एवं 0.24 एमटीपीए भूमिगत खदान) की उत्पादन क्षमता के साथ भास्करपारा कोयला खदान संचालित करना चाहता है। खदान क्षेत्र का कुल क्षेत्रफलः 932 हेक्टेयर है। खदान की आयु 28 वर्ष है। परियोजना का स्थान– भास्करपारा, खडपारा, बडसरा कुर्रीडीह, कुसमुसी, धनौली–खुर्द, केंवरा तहसील भैयाथान एवं धरसेडी ग्राम पंचायत के कुदरीपारा तहसील ओडगी, जिला सूरजपुर (छत्तीसगढ़)। समुद्र तल से उंचाई– 530–597 मीटर ऊपर, निकटतम राजमार्ग–खनन पट्टा क्षेत्र से गुजरते हुए पटना को सूरजपुर से जोड़ने वाला राज्य राजमार्ग12 राष्ट्रीय राजमार्ग 78 (10.5 किमी., दक्षिण), निकटम रेलवे स्टेशन, शिवप्रसाद नगर रेलवे स्टेशन (7 किमी., दक्षिण), कटोरा रेलवे स्टेशन (8.6 किमी., दक्षिण पश्चिम), सूरजपुर रेलवे स्टेशन (11.6 किमी., दक्षिण, पूर्व), निकटतम हवाई अड्डा– रायुपर (264 किमी., दक्षिण, दक्षिण पश्चिम), निकटतम गांव, शहर, नगर, जिला मुख्यालय–सूरजपुर (18 किमी., दक्षिण पूर्व), अध्ययन क्षेत्र के पर्यावरणीय विन्यास आरक्षित/संरक्षित वनः दक्षिण, पश्चिम पूर्व उत्तर, धरसेड़ी आरक्षित वन (खनन पट्टा क्षेत्र के भीतर), टेमरी, आरक्षित वन (0.5 किमी. पश्चिम), छपड़ा, संरक्षित वन (3.5 किमी. उत्तर, उत्तर–पश्चिम), भत्री, संरक्षित वन (7.2 किमी. दक्षिण, पूव), मंदर संरक्षित वन (7.9 किमी. दक्षिण पूर्व), क्योंटाली, आरक्षित वन (8.5 किमी. पूर्व), कनाई आरक्षित वन (9.6 किमी. उत्तर पश्चिम), तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य (15.3 किमी. उत्तर पूर्व), क्षेत्र का भूकंपीय मंडल–भारतीय मानक : 1893 (भाग –1)ः 2002 के अनुसार खनन पट्टा क्षेत्र, भूकंपीय मंडल–2 के अंतर्गत आता है। सरितायें नदियां एवं अन्य जल निकाय : माणिक नाला, खनन पट्टा क्षेत्र के भीतर, छःमुहानी के पास तालाब 0.3 किमी. पूर्व दक्षिण पूर्व, कुलुआ नाला 2.2 किमी. दक्षिण–पश्चिम, गोबरी नालाः 2.9 किमी. पूर्व दक्षिण, पूर्व, बर्गीउर्ही नाला, 5.9 किमी. उत्तर पश्चिम, रेहर नदीः 6.3 किमी. पूर्व, इंजनी नाला, 6.7 किमी. पूर्व–उत्तर, पूर्व, घोखनई नदी : 10.1 किमी. उत्तर, उत्तर पूर्व, घुड़गेला नाला 11.0 किमी. दक्षिण, खैरी नाला, 12.0 किमी. दक्षिण, पूर्व, महान नदी 13.4 किमी. उत्तर पूर्व, मौजूदा उद्योग : गिरिजापुर कोयला खण्ड, खनन पट्टा क्षेत्र सीमा के पश्चिम की ओर से सटा हुआ। एस.ई.सी.एल. झिलमिली भूमिगत खदान 2.1 किमी. दक्षिण–पश्चिम, पाण्डवपारा भूमिगत खदान, 2.3 किमी. पश्चिम, दक्षिण–पश्चिम। परियोजना खनन विवरण : शुद्ध भूगर्भीय भण्डार (खुली खदान)– संस्तर मोटाई > 0.5 मीटर 20.59 एम.टी. है, अवरूद्ध भंडार : 1.44 एम.टी. निकालने योग्य भंडार : 18.96 एम.टी., खनन 0.19 एम.टी., संस्तर विवरण : संस्तरों की संख्या–5 नग, सभी संस्तरों के लिए 0.5 मीटर–1.1 मीटर तक मोटाई है। अनावरित करने का अनुपातः 1:8.5 औसत, ड्रिल किये गये बोरवेल 108, संस्तर की नति, खंड दक्षिणी, दक्षिण, पश्चिम भाग में औसत पर्वता 2^0 से 3^0 और पूर्वी भाग में 9^0 से 10^0 ओब्हर बर्डन का आयतन : 161.22 एम एम^3, बाहरी डम्प : 48.33 एम एम^3 आंतरिक डम्पः 112.89 एम एम^3 बेंच उंचाई और चौड़ाई : ओबी में उंचाई 8 से 10 मीटर, उपरी मिट्टी में उंचाई 5 से 6

मीटर, वर्किंग बेंच की चौड़ाई 30 मीटर, गैर बेंच वर्क की चौड़ाई 10 मीटर, ढुलाई सड़क की चौड़ाई 20 मीटर। भूमिगत खदान– संस्तर मोटाई > 1.5 मीटर 13.03 एम.टी. है, निकालने योग्य भंडार : 5.21 एम.टी., संस्तर विवरण : संस्तरों की संख्या–2 नग, सभी संस्तरों के लिए 0.5 मीटर से 4.11 मीटर तक मोटाई है। अनुमानित परियोजना लागत–284 करोड़ है। रेहर

स्थलाकृति और जल निकासी स्वरूपः इस खंड की स्थलाकृतिक ऊंचाई 530 मीटर और औसत समुद्र तल से 597 मीटर ऊपर है। इस खंड का दक्षिणी भाग मुख्य रूप से धान के खेतों से भरा है। उत्तरी भाग एक लहरदार भूभाग है जिस पर बलुआ पत्थर रिज हैं । खदान से होकर उत्तर पश्चिम दिशा में उत्तर पूर्वी प्रवाह के साथ बहने वाला माणिक नाला, जो कि उत्तर में गोखनी नाले में जाकर मिलता है और दक्षिण पूर्वी प्रवाह वाला कलुआ नाला पूर्व में जाकर **रेहर** नदी में मिलता है । खदान से होकर उत्तर पश्चिम में बहने वाले माणिक नाले को खनन के 5वें वर्ष के बाद खंड के पश्चिमी तरफ मोड़ने का प्रस्ताव है और कलुआ नाले के लिए कोई मोड़ प्रस्तावित नहीं है । राज्य मार्ग संख्या 12 का केवल 655 मीटर लंबा भाग ही खुली खदान के अंतर्गत आ रहा है, इसे स्थानांतरित कर 790 मीटर लंबा सड़क बनाये जाने का प्रस्ताव है, जिसको पांच वर्ष उपरांत बनाने की आवश्यकता होगी। परियोजना अधिकारी ने सड़क स्थानांतरण के लिये अनुमति प्रदान करने के लिये आवेदन मुख्य अभियंता, पी.डब्ल्यू.डी. छत्तीसगढ़ शासन को 11 अगस्त 2022 को दिया है।

खनन की विधि– प्रस्तावित खान का संचालन खुली खदान और भूमिगत खनन दोनों तरीकों से किया जाएगा। खनन क्षेत्र में जांच की गई भू-खनन स्थितियों के आधार पर, 1.0 एम टी पी ए की निर्धारित क्षमता हासिल करने के लिए खनन प्रणाली तैयार की गई है। कोयले की निकासी और ओबी को हटाना पारंपरिक प्रणालियों द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। खुली खदान खनन विधि पारंपरिक ड्रिलिंग और विस्फोटन के साथ 3.2 घन मीटर हाइड्रालिक शोवेल और रियर डम्पर (35 टन) के संयोजन द्वारा की जाएगी। भूमिगत खनन विधि लचीली लाइट ड्यूटी चेन कन्वेयर पर कम ऊंचाई वाले लोड हॉल डम्पर / साइड डिस्चार्ज लोडर द्वारा कोयले की लोडिंग जैसी मध्यम प्रौद्योगिकी की शुरूआत के साथ बोर्ड और पिलर विधि द्वारा काम करने का प्रस्ताव है। कोयला तोड़ने के लिए पारंपरिक ड्रिलिंग और विस्फोटन पद्धति अपनाई जाएगी।

प्रस्तावित मशीनीकरण

क्र. सं.	विवरण	क्षमता और आकार
1	हाइड्रालिक शोवेल	**3.5 घन मीटर**
2	रियर डम्पर	**35 टन**
3	डोजर	**410 हार्सपॉवर**
4	रिप्पर संलग्नी	**410 एच पी**
5	ब्लास्ट होल ड्रिल	**160 मिली मीटर**
6	फ्रंट एंड लोडर	**5 घन मीटर**
7	रियर डम्पर	**30 टन**
8	मोटर ग्रेडर	**280 एच पी**
9	विस्फोटक पदार्थ वैन	**10 टन**
10	डोजर	**450 एच पी**

11	पानी छिड़काव यंत्र	14 किलो लीटर
12	हाइड्रॉलिक पृष्ठ कुदाल	2 घन मीटर
13	टिप्पिंग ट्रक	20 टन
14	आर टी क्रेन	8 टन

पर्यावरण के मौसमी आँकड़े- प्रमुख हवा की दिशा 38% उत्तर दिशा से है और दूसरी प्रमुख हवा की दिशा उत्तर पश्चिम दिशा से 8.4% है।

पारिस्थितिकी और जैवविविधता - अध्ययन क्षेत्र में कोई अनुसूची- प्रजाति नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई। प्रभाव : खनन गतिविधियों के लिए मौजूदा वनस्पति को हटाना, आवास की गड़बड़ी और, खनन गतिविधियों के कारण मानवीय हस्तक्षेप, उपशमन उपाय, वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार वृक्षारोपण गतिविधियाँ, धूल को नियंत्रित करने के लिए खनन पट्टा क्षेत्र के भीतर वृक्षारोपण और, हरित पट्टी विकास में प्रस्तावित व्यापक वृक्षारोपण से वनस्पति हटाने के कारण होने वाले प्रभावों को दूर किया जाएगा, यह प्रदूषण सिंक और ध्वनि अवरोध के रूप में काम करेगा। इसके अलावा, मांगी गई वन मंजूरी में निर्धारित सभी शर्तों का ईमानदारी से पालन किया जाएगा। धूल को नियंत्रित करने के लिए खनित माल का परिवहन केवल ढके हुए ट्रकों में ही किया जाएगा। परिवहन मार्ग में पानी छिड़काव यंत्र भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इसलिए, पर्यावरण प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन के कारण आसपास के कृषि- पारिस्थितिकी तंत्र पर वनस्पतियों पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभावों की परिकल्पना नहीं की गई है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन एवं उपशमन उपाय :

वायु प्रदूषण के कारण प्रभाव –

खुली खदान खनन- खनन गतिविधि के कारण वायु प्रदूषकों (पीएम$_{10}$ और पीएम$_{2.5}$ स्तर) का बनना और उड़न धूलकणों के स्तर। खनन गतिविधि के कारण उत्सर्जित गैसीय प्रदूषक स्तरों में NO_2, SO_2 और CO शामिल हैं, जो चल और स्थिर स्रोतों में जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न होते हैं। भौतिक गतिविधियों, मशीनीकरण, वाहनों की आवाजाही, ठोस पदार्थों को उठाना-रखना और भंडारण क्षेत्रों से निकलने वाले उड़न उत्सर्जनों के कारण धूल के स्तर बढ़ जाते हैं।

भूमिगत खनन, खान के निकास में कम प्रतिशत में मीथेन, सल्फर और CO_2 होता है, जो परिवेश के वातावरण में आसानी से फैल जाते हैं।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन एवं उपशमन उपाय - उपशमन उपाय, ड्रिलिंग, विस्फोटन, ओ बी और कोयले को उठाना-रखना आदि के कारण उत्पन्न धूल को पानी के छिड़काव से नियंत्रित किया जाएगा, हानिकारक गैसों वाले विस्फोट धुएं के उत्पादन को निम्न द्वारा कम किया जाना चाहिए: पूर्ण प्रस्फोटन सुनिश्चित करने के लिए अमोनियम नाइट्रेट के साथ ईंधन तेल का उचित और आनुपातिक मिश्रण; विस्फोट छेद की उचित स्टेमिंग,

ड्रिलिंग कार्य: विस्फोट छेद ड्रिलिंग के दौरान उत्पन्न होने वाले धूल को ड्रिलिंग गति से नियंत्रित किया जाएग, ड्रिल धूल निष्कर्षक प्रणाली से लैस होंगे; गीला ड्रिलिंग कार्य।

विस्फोटन कार्य: विलंबित अधिस्फोटकों के साथ नियंत्रित विस्फोटन आमतौर पर पारी परिवर्तन अवधि के दौरान दिन में किया जाएगा, तथा डिजाइन के अनुसार उचित स्टेमिंग और अंतराल

वायु गुणवत्ता प्रबंधन एवं उपशमन उपाय, लादना और परिवहन: डामर से सभी सर्विस सड़कों का सतह-लेपन, ढुलाई सड़कों की लंबाई कम करना, एच ई एम एम इंजनों का नियमित रखरखाव, एच ई एम एम से निकलने वाले धुएं के लिए गैस फिल्टर का प्रावधान, खान क्षेत्र

में धूल को कम करने के लिए चल पानी छिड़काव यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। साइडिंग और ढुलाई सड़कों पर ऑटो-स्टार्ट, समय चक्र नियंत्रित, महीन नोक लगे स्थिर छिड़काव यंत्रों का प्रावधान, सड़कों के किनारे वृक्षारोपण के अलावा खदानों, औद्योगिक स्थल, सेवा भवन इलाके के चारों ओर हरित पट्टीयाँ, तथा अंतिम उपयोग संयंत्रों तक कोयला ले जाने वाले ट्रकों के लिए पीयूसी (प्रदूषण नियंत्रणाधीन) की लगातार निगरानी की जाएगी।

कोयला निर्वाह संयंत्र महीन नोक लगे स्थिर छिड़काव यंत्रों द्वारा कोयला निर्वाह के दौरान कोयला धूल का दमन, धूल उत्पादन को कम करने के लिए स्थानांतरण बिंदुओं पर कोयला-गिराव की ऊंचाई को कम करना, तथा धूल उत्सर्जन के फैलाव को कम करने के लिए बंद कोयला कन्वेयर और सी एच पी।

ध्वनि स्तर एवं उपशमन उपाय- ध्वनि स्तरों के कारण प्रभाव- खनन मशीनरी, वाहनों की आवाजाही और विस्फोटन ध्वनि के मुख्य स्रोत हैं। खदान पूरी तरह से मशीनीकृत है, विस्फोटन, ड्रिलिंग, उत्खनक, डंपर और अन्य खनन मशीनरी के उपयोग से खदान गतिविधियाँ उत्पन्न ध्वनि उत्पन्न करेंगी। यदि ठीक से नियंत्रित नहीं किया गया तो खदान के मशीनीकरण से आमतौर पर ध्वनि स्तर अधिक होते हैं। ड्रिल, शोवेल, डंपर, पे लोडर और डोजर के संचालन में 90 डीबी (ए) से ऊपर की ध्वनि उत्पन्न होती है, जो कि निर्धारित सीमा मूल्य (टी एल वी) है। व्यावसायिक स्वास्थ्य की दृष्टि से ध्वनि के अपेक्षित स्तरों का कोई प्रभाव होने की संभावना नहीं है।

ध्वनि स्तर, उपशमन उपाय - ध्वनि स्तर और भूमि कंपन उपशमन उपाय- खनन पट्टा क्षेत्र के चारों ओर हरित आवरण / प्रस्तावित हरित पट्टी ध्वनि अवरोधक के रूप में काम करती है और सामुदायिक ध्वनि स्तरों को सहनीय सीमाओं के भीतर रखती है। वैकल्पिकतः एक्सेल गैर-विद्युत समारंभन प्रणाली का प्रयोग करके डेटोनैटिंग फ्यूज का प्रयोग न्यूनतम मात्रा में किया जाएगा। ध्वनि स्तरों को कम करने के लिए संचालक कक्ष को उचित कवच से हिफ़ाज़त किया जाएगा। ध्वनि कम करने के लिए खान परिधि के चारों ओर चरणबद्ध तरीके से मोटी हरित पट्टी बनाना; और खनन पट्टा क्षेत्र के अंदर तथा चारों ओर वृक्षारोपण किया जाएगा।

उच्च ध्वनि स्तरों से कामगारों को बचाने के लिए उपाय- कान मफ्फ / कान प्लग जैसे हिफ़ाजती साधन का प्रावधान, उच्च ध्वनि स्तर उत्पन्न करने वाले यंत्रों के पास तैनात कामगारों के लिए ध्वनि रोधक कक्ष का प्रावधान; तथा कामगारों का उच्च ध्वनि स्तरों के प्रभाव में आने के संपर्क समय कम करना।

जल गुणवत्ता प्रबंधन- पानी की आवश्यकता और उपयोग, परियोजना के लिए पानी की मांग का अनुमान औद्योगिक मानदंडों के अनुसार लगाया गया है। कुल 472 के एल डी औद्योगिक पानी और 18 के एल डी पीने के पानी की आवश्यकता होगी यानी 490 के एल डी । औद्योगिक उपयोग: 210 के एल डी का उपयोग धूल दमन प्रणाली के लिए, 97 के एल डी खदान संचालन (डम्पर, डोजर और फर्श की धुलाई) के लिए और 165 के एल डी हरित पट्टी विकास, वाशरी और अग्नि शमन सेवा के लिए किया जाता है यानी कुल पानी की आवश्यकता 472 के एल डी है। घरेलू उपयोग: खान स्थल कार्यालय के कर्मचारियों, खान श्रमिकों और कैंटीन में 13.11 के एल डी और आवासीय इलाकों में 4.79 के एल डी का उपयोग किया जाता है यानी कुल पानी की आवश्यकता 18.00 के एल डी है। सतही जल पर प्रभाव, झीलों, नालों और तालाबों जैसी सतही स्वरूपों का नुकसान; सतही जल अंतर्वाह और वर्षा संबंधी पुनर्भरण, क्षेत्रीय सतही चलन; खान के काम करने के साथ सतही और भूजल की परस्पर क्रिया में वृद्धि, तथा सतही जल की निकासी।

जल गुणवत्ता प्रबंधन- भूजल पर प्रभाव, खान में भूजल अंतर्वाह; भूजल की निकासी; क्षेत्रीय भूजल चलन; तथा खान के समग्र डिजाइन के परिणामस्वरूप बंद होने के बाद के प्रवाह के लिए मार्ग।

जल गुणवत्ता पर प्रभाव, भूजल अंतर्वाह, खनन से संबंधित प्रदूषकों के साथ बाद में संपर्क में आने के साथ; प्रदूषित जल/अपशिष्ट जल का विसर्जन; अपशिष्ट निपटान/ठोस कचरे के डंपिंग से संदूषित लीचेट; तथा कार्य करते समय और बंद होने के बाद की भूरासायनिकी और परिणामी विषालु पदार्थों की गतिशीलता ।

जल गुणवत्ता प्रबंधन- उपशमन उपाय, निम्नलिखित उपाय परियोजना की गैर-घरेलू पानी की आवश्यकता को और भूजल पुनर्भरण को संपन्न करेंगे ताकि बोरवेलों से भूजल की निकासी और खान के गड्ढों से पानी निकालने के कारण आसपास और नीचे की ओर पानी के स्तर को घटाने के प्रभाव को कम किया जा सके: छतों से वर्षा जल संचयन, अवसादन-सह-पुनर्भरण तालाब, मोड़ वाहिकाओं और सरिता मार्ग के समानांतर पुनर्भरण कुएं, तथा खदान के गड्ढों में जल संग्रहण सम्प, यह खान शून्य द्रव विसर्जन के साथ काम करेगी। खनन गड्ढे में वर्षा जल के प्रवेश को रोकने के लिए गड्ढे के चारों ओर माला नालियों की व्यवस्था की जाएगी, ठोस कणों के अवसादन के लिए कचरे के ढेर से आने वाले पानी के रिसाव को बनाए रखने के लिए डंप के चारों ओर गाद बांध के समानांतर माला नालियों की व्यवस्था की जाएगी, तथा घरेलू अपशिष्ट के निपटान के लिए सेप्टिक टैंक और सोख गढ्ढों की व्यवस्था की जाएगी।

अपशिष्ट एवं मिट्टी प्रबंधन - खान के जीवन काल के दौरान कुल ऊपरी मिट्टी उत्पादन 5.25 मेट्रिक टन है। ऊपरी मिट्टी को अलग से ढेर किया जाएगा और हरित पट्टी विकास के भूमि उद्धार के प्रयोजन के लिए उपयोग की जाएगी। खान के जीवन काल के दौरान कुल 161.22 मिलियन घन मीटर ओवरबर्डन उत्पन्न होगा। खान के संचालन के पहले पांच वर्षों के में उत्पन्न कुल ओवरबर्डन की मात्रा में से 38.32 मिलियन घन मीटर अस्थायी बाहरी डंप में डंप किया जाएगा। इस दौरान, पर्याप्त खाली स्थान बनने के बाद आंतरिक डंपिंग शुरू कर दी जाएगी।

उपशमन उपाय - वर्षा के पानी से खान क्षेत्र की किसी भी मिट्टी को बह जाने से रोकने के लिए खान के चारों ओर माला नालियां, तूफान के पानी की गति को कम करने के लिए बेंच स्तरों को सामान्य गड्ढे ढलान के बजाय पानी की ढाल दी जाएगी। पानी के नियंत्रित उतरान होने देने के लिए, विशेष रूप से बाहरी डंपों से, वाहिकाओं की व्यवस्था की जाएगी। बेंचों के किनारे बनाई गई गलियों, यदि कोई हो, को स्थानीय पत्थर या रेत से भरे बोरियों के चेक बांधों की व्यवस्था की जाएगी। ऊपरी मिट्टी लगाने के बाद मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए निष्क्रिय डंप ढलानों पर झाड़ियों, घास, छोटे पेड़ों और पेड़ लगाए जाएंगे। बेंचों या किसी भी ढीले माल को संबल देने के लिए और ढीले मलबे के फिसलने को रोकने के लिए रिटेनिंग दीवारें (गेबियन, कंक्रीट या स्थानीय पत्थर के साथ) बनाई जाएंगी।

हरित पट्टी विकास योजना- हरित पट्टी के लिए सुरक्षा क्षेत्र में 13.33 हेक्टेयर। 312.796 हेक्टेयर को वृक्षारोपण द्वारा पुनरुद्धार किया जाएगा। वृक्षारोपण द्वारा 94.93 हेक्टेयर बाहरी डंप को पुनरुद्धार किया जाएगा। 22.719 हेक्टेयर अबाधित भूमि को वृक्षारोपण के लिए लिया जाएगा।

<u>प्रस्तावित हरित पट्टी व्यय: -</u> अनावर्ती लागत = रु. 13.58 लाख और आवर्ती लागत प्रति वर्ष = रु. 0.42 लाख, अप्रत्याशित आकस्मिकताओं के अलावा कुल आवर्ती लागत (खान के जीवन काल को ध्यान में रखते हुए) = 0.42 x 28 = 11.76 लाख, अप्रत्याशित आकस्मिकताओं की कुल आवर्ती लागत, यह देखते हुए कि खान का जीवन काल 28 वर्ष है

और खनन के बाद की अवधि 3 वर्ष = 0.06 x 28 = रु. 443.5368 लाख, हरित पट्टी विकास के लिए शुद्ध राशि रु. 470.1368 लाख खान के जीवन काल के लिए हरित पट्टी विकास के लिए आवंटित किए गए हैं।

हरित पट्टी विकास पर सालाना लगभग 16.8 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।

व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं संरक्षा- डीजीएमएस दिशानिर्देशों के फॉर्म-O के अनुसार नियुक्ति से पहले और समय-समय पर स्वास्थ्य जांच की जाएगी, दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित परीक्षण किए जाएंगे: श्रवणमिति, छाती का एक्स रे, स्पिरोमेट्री, दृष्टि परीक्षण (दूर और निकट दृष्टि, रंग अंधापन और कोई अन्य नेत्र संबंधी दोष), ईसीजी, हीमोग्राम (रक्त की जांच), वसा प्रोफाइल और गुर्दे संबंधी प्रोफाइल, जिगर कार्य परीक्षण, सीरम यूरिक एसिड, पूरे पेट का यूएसजी, मूत्र (सामान्य और सूक्ष्म), पूर्ण शारीरिक परीक्षा, पूरे शरीर का कंपन परीक्षण, प्रत्येक कर्मचारी का चिकित्सा रिकॉर्ड अलग से रखा जाएगा और उसे अपडेट किया जाएगा।

पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना- यह परियोजना 08 गांवों से 932 हेक्टेयर सरकारी, वन और निजी भूमि का अधिग्रहण करेगी। 08 गांवों के सभी परिवार प्रभावित होंगे क्योंकि कोयला खनन परियोजना के लिए उनकी जमीनों या घरों का अधिग्रहण किया जाएगा। एक विस्तृत सामाजिक प्रभाव अध्ययन किया गया है। कुल परियोजना प्रभावित परिवार 1290 (1290 प.प्र.प. में से, 138 वासभूमि प्रभावित प.प्र.प. और 163 अतिक्रमणकर्ता वासभूमि प्रभावित प.प्र.प. के साथ-साथ भूमि अधिग्रहण/सतह अधिकार के लिए भैयाथन और ओडगी तहसीलों के 08 गांवों से कृषि भूमि / बंजर भूमि प्रभावित प.प्र.प.। पीआईएल "केंद्रीय आर एफ सी टी एल ए आर आर अधिनियम 2013 और अधिसूचना संख्या एफ-4-123/सात-1/2016, दिनांक 03.02.2018 द्वारा प्रकाशित छत्तीसगढ़ भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार (प्रभावित परिवारों का सर्वेक्षण और जनगणना और पुनर्वास एवं पुनस्र्थापन योजना की तैयारी) नियम, 2018 के प्रावधानों के अनुसार" पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन पैकेज अनुसूची II और III का भुगतान करेगी।

प्रस्तावित सी- एस-आर- गतिविधियाँ

[illegible]	[illegible]
शिक्षा	❑ स्कूल भवनों का नवीनीकरण ❑ स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने में सहायता ❑ आंगनवाड़ी केंद्रों का नवीनीकरण ❑ कौशल सुधार के लिए कार्यक्रम ❑ स्कूलों में शैक्षिक स्वयंसेवकों के लिए सहायता करना
ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास	❑ जल निकासी लाइनों का निर्माण ❑ नए सार्वजनिक और व्यक्तिगत शौचालयों के लिए ग्राम पंचायतों की सहायता करना ❑ वेक्टर जनित रोगों और अस्वच्छ प्रथाओं के बारे में जागरूकता ❑ मौजूदा सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना ❑ परियोजना प्रभावित गांवों में सामुदायिक हॉल और कंक्रीट सड़कों का निर्माण

	❑ पशु चिकित्सा शिविरों की जरूरतों की पूर्ति करना ❑ सुरक्षित पेयजल प्रणाली की पूर्ति करना और उसे बढ़ावा देना
आजीविका वृद्धि	❑ स्थानीय युवाओं और घरेलू महिलाओं के लिए व्यावसायिक और कौशल विकास प्रशिक्षण ❑ महिला स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता ❑ प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए जरूरतमंद छात्रों के लिए आजीविका सृजन पहल, चिकित्सा बीमा और छात्रवृत्ति के माध्यम से जरूरतमंद आबादी के लिए उनके जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक बीज पूंजी निधि तैयार करना ❑ प्रतिभावान छात्र एवं छात्राओ के लिए आजीविका सृजन पहल और छात्रवृत्ति

उपरोक्त प्रस्तावित सीएसआर गतिविधियों के लिए प्रत्येक वर्ष 100 लाख रुपये का सीएसआर बजट निर्धारित किया गया है।

4. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, भैयाथान, जिला–सूरजपुर (छ.ग.) द्वारा लोक सुनवाई को आगे बढ़ाते हुए जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों से कहा कि पर्यावरण जनसुनवाई में उपस्थित ग्रामवासी आप सभी से इस परियोजना के संबंध में आपत्ति, सुझाव या जो भी विचार रखना चाहते हैं वे लिखित में या मौखिक तौर पर आप सुझाव, विचार कर सकते हैं आप लोग के सुझाव आमंत्रित हैं।

5. तत्पश्चात उपस्थित लोगों द्वारा उनके विचार व्यक्त करने की प्रकिया आरंभ की गई। विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	वक्ता का नाम	पता	कथन
01	श्री गिरिश गुप्ता (पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष)	ग्राम–सलका, अघिना	समस्त मंचासीन हमारे जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, माताऐं, बहनें, जितने पधाधिकारी है, पुलिस प्रशासन, मीडिया के साथियों और प्रकाश इण्डस्ट्रीज के जितने पदाधिकारी है, सबको अपनी ओर से हार्दिक अभिनन्दन करता हूं। जैसा कि ओपन कास्ट खदान यहां पर खुलने जा रहा है तो सबसे पहले तो यहां के लोगों का विकास का विशेष ध्यान दिया जाये। जैसे कि नौकरी लगनी है तो 10 किलोमीटर के जो क्षेत्र में यहां के जो लोकल जनता है, माताऐं बहने है, जो जिस काम के योग्य हो, उसको नौकरी की व्यवस्था दी जाये, और साथ ही जनता को लेकर चला जाये, इस बात का ध्यान दिया जाये क्यों कि प्रशासन के दम पे काम उतना नहीं चल पाता है। जितना आप जनता को लेकर चलेंगें, जनता के सुख दुख में पानी की व्यवस्था हुई,

			सड़क की व्यवस्था हुई, स्कूल की व्यवस्था हुई, जैसा की आपने बताया कि आंगनबाडी का विकास होगा, मेरा घर सलका अधिना में है, भटगांव के 10 किलोमीटर के दायरे में आता हूं, अभी आपने बताया कि हम जो कोयला निकालेंगें, जो गढ्ढा को पाट के देगें लेकिन आज तक ओपन कास्ट पडा है उसमें झील में सुनने में आता है कितना कोयला खदान अभी भी निकल रहे है, भटगांव में अभी भी देखा, कितने बच्चे उसमें डूब-डूब के अभी भी मर रहे है कोई दब के मर रहे है, कोयला निकल गया, हमारे साहब भी बैठे है, अभी बताऊ, हमेशा वहां पर घटनाऐं दुर्घटनाऐं होती रहती है, अब जैसा खदान बन्द हो गया उसका पूरा वायरिंग करिये, उसको पूरा पाटिये, वायरिंग नहीं पूरा पाटियें, भटगांव में मैनें देखा कि शिवारीपारा मैं देखा हूं कि जगह-जगह में कोयला निकल गया, आज भी जमीन धंस रहा है, भटगांव बाजारपारा में जमीन धंस रहा है, अगल-बगल में लोक दहशत में है। जो सरकार जमीन में घर बनाये है उनको प्रशासन आज तक मुआवजा नहीं दे रही है, भटगांव में बहुत लम्बे अर्से से मैं देखा कि हडताल पर लोग बैठे है, उसका थोडा सा क्योंकि आपका कानून काम करते समय शुरुआत में चाहे लास्ट में कुछ भी आप बता देगें। लेकिन लास्ट में आप कुछ भी नहीं कर पाते है। खदान में जनता का विकास होगा, क्षेत्र का विकस होगा, हम भी जानते है, अगर प्राकृति संपदा का दोहन होगा, यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, अच्छा शिक्षा मिलेगा, अच्छा पढाई-लिखाई मिलेगा, आपने सब कुछ बताया है। लेकिन एजुकेशन के मामले में जैसे मैं देखता हूं जरही में डी.ए.व्ही. स्कूल खुला है, सरकारी जो कर्मचारी है, उनके बच्चों का वहां तुरन्त एडमिशन हो जाता है, लेकिन जो लोकल जनता है, जिनका जमीन फंसा है, उनका कभी-कभी लग जाता है लेकिन जो लोकल जनता है उनके बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता है। मैं रोज अधिकारी के पास, जनप्रतिनिधि के पास, अफसर के पास हमेशा दौडते रहता हूं कि हमारे बच्चों का एडमिशन हो जाये, हमारे बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य मिले। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी 10 कि.मी. के दायरा का क्षेत्र है, इसमें चाहे जो भी आये वो आपके खदान में काम करे या न

			करें, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबका कार्ड बनाईयेगा, सबको प्राथमिकता दीजिऐगा ईलाज के लिए। पक्ष तो दोनो होता है, पक्ष में भी लोग है, विपक्ष में भी लोग है, आपके खदान खोलने में बहुत सारे लोग खुशी भी है कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा, हमारी क्षेत्र की जनता को काम मिलेगा, काम के संबंध में वही कहूंगा कि जो काम वर्कर के द्वारा प्रतिनिधि या बच्चे के द्वारा हो, लेकिन क्षेत्र के लोगों को उसमें सहभागिता मिलनी चाहिए। आज विरोध भी कुछ लोग करेगें, क्योंकि लोगों की मंशा सबकी पूरी नहीं होती, कुछ लोगा स्वार्थी तत्व भी आ जाते है, आप लोग देखियेगा, लेकिन क्षेत्र का विकास होगा, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको हार्दिक शुभकामनायें देता हूं लेकिन लोगों और क्षेत्र की जनता के विश्वास पर आप खरे उतरे, और अगर हमेशा हो सके तो एक शिकायत पेटी जैसा बनता है तो अधिकरी सुनने के लिए हमेशा सुख–दुःख में साथ में लोगों की जनता का भावना सुनने के लिए आप लोग हमेशा कोई एक टीम गठित कर दें, लोगों को ज्यादा असंतोष न हो क्योंकि बाद में धरना प्रदर्शन क्योंकि इनके भावनाओं पर आप खरे नहीं उतरे तो लोग बाद में धरना करेगें, प्रदर्शन करेगें। ऐसी नौबत न आयें। इन्ही शब्दों के साथ ज्यादा न बोलतें हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा और आपको हार्दिक शुभकामनाऐं देता हूं कि आप इस क्षेत्र की जनता का विकास करेगें। यही उम्मीद मैं भी करता हूं और हमारे क्षेत्र की जनता भी करती है। धन्यवाद! जय हिन्द, जय भारत, जय छत्तीसगढ, जय केंवरा के पावन भूमि।
02	श्री विरेन्द्र शास्त्री	ग्राम–कोयलारी भैयाथान	आज हमारा सूरजपुर, जिला भैयाथान क्षेत्र का सौभाग्य है कि कोल इण्डिया उपक्रम या स्थापना की जा रही है, उसमें बाधाऐं तो जरुर आ रही है।लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है, कि हमारा कोयला खान का भविष्य बड़ा उज्जवल होगा, हमारे बेरोजगार युवाओं को उस स्थान का उन्हे प्राथमिकता मिलेगी। जैसे कि हमारे ईष्ट गुप्ता जी, अनुज आप लोगों को अपना सुझाव प्रस्तुत किये है। उसका भी मैं समर्थन करता हूं। और हमारे एस.ई.सी.एल. के पूर्व डायरेक्टर थॉपर जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उनका भी आज मुझसे मुलाकात हुई। श्री ए.के.चतुर्वेदी जी

			जो प्रकाश इण्डस्ट्रीज कम्पनी के डायरेक्टर, इनके सारे प्लांट का मैं भी स्वागत करता हूं, मेरा क्षेत्र भी स्वागत करता है, हमारे युवा भी स्वागत करते है, हमारे कृषक बन्धु है वो भी स्वागत करते है। परन्तु हमारी जो मांगे है, हमारी जो साधन सुविधाऐ है, वो हमारे आपके क्षेत्र में है जो हमें मिलना चाहिए। ऐसी व्यवस्था को मजबूत करते हुए आज पर्यावरण की व्यवस्था मजबूत करें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मजबूत करें, शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत करें, आंगनबाड़ी क्षेत्र को मजबूत करें, पंचायत क्षेत्र को मजबूत करें, हमारे क्षेत्र के जो युवा है, पीढी है, उनके भी कुछ संस्कार को आगे बढाने के लिए आर्थिक सहायता समय–समय पर देते रहे। बडी शुभकामनाऐं के साथ कि यहां के डिप्लोमा होल्डर, माईनिंग से प्राप्त कर हमारे बीच में आये हुए है। उन्हे भी प्राथमिकता दिया जाये कि वो घरों से आप तक आकर के अपनी डयूटी कर सकें, अपने माता–पिता के निकट रह सके। ऐसी सम्भावनाओं के साथ मैं ज्यादा आप लोगों को समय नहीं देना चाहता हूं, हमारे पीछे भी बहुत साथी है। मैं थॉपर साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, ए. के.चतुर्वेदी साहब को भी धन्यवाद देता हूं, हमारे बाहर से आये हुए अधिकारी, कर्मचारी, सुरक्षा विभाग, सिविल विभाग, पर्यावरण विभाग सबका मैं हार्दिक अभिनन्द करता हूं और आगे के कार्यक्रम को आगे बढाया जाये, सुचारु रुप से उत्पादक को, उत्पाद के लक्ष्य को प्राप्त हो। ये हमारी सुभकामनाऐं है हम आपके समर्थन है। <u>उद्‌बोधन क्र. 21 में (श्री विरेन्द्र शास्त्री द्वितीय)</u> मैं पूर्व में भी कुछ कह चुका हूं, मुझे कुछ विचार और उत्पन्न हुई, जो प्रकाश इण्डस्ट्रीज के हित में है, हमारे जन हित में है, और इस तरीके के लोग जो हमारे क्षेत्र के लोगो को बरगलाये जा रहे है, वो इस तरह के कार्यो में हमेशा लिप्त रहते आ रहे है, मैं माईनिंग विभाग में 42 साल नौकरी करके आज हमारे थापर साहब के अधीन में रहा हूं, और इस कोयले का महत्व समझता हूं, कि आज हमारे इस धरती पर जो कोयला है, वो विस्फोट हो जायेगा। ये खतरे को समझ नहीं पा रहे है और खतरे से बचाने के लिए हमारे जो प्रधानमंत्री है। ये उद्योगपतियों को जो महत्व दे

			रहे है उसका मैं पूर्ण समर्थन करता हूं, और ये दस हजार लोगों का बोलते है कि मैं विरोध करुंगा। मैं पचास हजार लोगों को लाकर के इस माईन्स को खोल के प्रकाश इण्डस्ट्रीज के मालिक को चलाउंगा। ये मेरा संकल्प है, कि मैं इस खदान को खोलने के लिए सतत् जन समुदायों का समर्थन लेकर के प्रोडक्शन का प्रभार लूंगा, और लूंगा और यहां विकास भी होगा, मै प्रकाश इण्डस्ट्रीज के साथ तन मन विचारधारा से जुडा हूं, और पूरे जनता के साथ भटगांव विधान सभा क्षेत्र मैं उनके साथ जुडा हूं। हमारे क्षेत्र के जितने प्रभुत्व वर्ग है, हमारे युवा पीढी है, उनको हमें रोजगार देना है, और हमे ये पांच हजार दो हजार की चिंता नहीं करनी है, उनको चिंता करना है, जो हमारी आने वाले पीढी है, उनको भविष्य में उठाना है, विकास करना है। यह हमारा पूर्ण संकल्प है, इस प्रस्ताव को लेकर के मैं स्वयं दिल्ली तक जाउंगा और प्रकाश इण्डस्ट्रीज विभाग है वहां तक बैठ कर के इसका विचारधारा बनाने का मैं यह लक्ष्य करता हूं। धन्यवाद।
03	श्री रामदेव कुशवाहा, (पूर्व उपसरपंच)	ग्राम पंचायत केंवरा	बोलिये भारत माता की, भारत माता की, बाबा भोलेनाथ के पावन धरा ग्राम–केंवरा लोक सुनवाई के संबंध में पधारे हुए सभी कलेक्टर महोदय, एस.डी.एम. साहब, तहसीलदार सहब, पर्यावारण के अधिकारी, हमारे क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, राजा साहब, सरपंच श्री अखिलेश प्रताप सिंह, जनपद उपाध्यक्ष माननीय श्री विरेन्द्र दुबे कोयलारी, बडे भाई के तर्ज में बडे भाई श्री गिरिश कुमार गुप्ता जी, पूर्व जिला उपाध्यक्ष सूरजपुर, हमारे साथी माननीय श्री शीतल भैया, पूर्व मण्डल अध्यक्ष, भैयाथान, सम्मानीय श्री राजू प्रताप सिंह जी एवं संतोष भाई साहब, नूर आलम जी एवं पत्रकार बंधु, हमारे दूर दराज से आये हुऐ सरपंच किसान, मजदूर सभी का ग्राम पंचायत केंवरा की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हमारे ग्राम केंवरा में ओपन खुली खदान खोदने का प्रस्ताव लाया गया है, उस प्रस्ताव का सही रुप से सुचारु रुप से जैसा हमारे वक्ता गिरिश भैया ने कहे कि क्षेत्र की जनता के ध्यान में रखतें हुए जनता के हित में काम करें। ताकि क्षेत्रवासियों को किसी भी प्रकार का काम करने में कठिनाई परेशानी न हो। मैं

			यह आशा करता हुं कि हमारे क्षेत्र के जो किसान है, मजदूर है यह हम लोग का किसी क्षेत्र या ग्राम है, हम लोग का जीवन निर्वाह खेती से ही होती है। इसका भी ध्यान रखते हुए पर्यावरण का जो मुद्दा है, उसका भी ध्यान रखा जाये, जैसे साहब ने बताया ध्वनि, वायु कई प्रकार के प्रदूषण फैलते है, इसका विशेष रुप से ध्यान रखा जाये, और जो इसका जो पानी है गर्म पानी या अधिक पानी जो है, इसको किसी सुरक्षित स्थान से निकाला जाये। ताकि हमारा कृषि योग्य जो शेष भूमि बचता हो वो किसी प्रकार से प्रभावित न हो, मैं इस कम्पनी के निदेशक महोदय से निवेदन करुंगा कि यहां जो 10 किलोमीटर का जो दायरा का जो क्षेत्र है, उसके युवा वर्ग, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सब वर्ग के योग्यता के अनुसार उनको नौकरी दिलाने का मैं प्रस्ताव रखता हूं। हमारे भाईयों का जो प्रकाश इण्डस्ट्रीज कम्पनी के द्वारा जो जमीन जो अधिकृत किया जा रहा है, इन भाईयों को सही मुआवजा प्रस्तावित कर बताया भी जाये उनको नौकरी दिलाया जाये, मैं यह भी निवेदन करुंगा कि जिनके पास जो जमीन नहीं फंसा हुआ है, एरिया के अन्तर्गत ऐसे युवाओं को भी उनके परिचय द्वारा योग्यता के अनुसार लाभ पहुंचाया जाये। हमारे युवा ग्राम का पहचान बताने वाला इसकी जानकारी देने वाला एक सड़क है। यदि हमारा गांव का सड़क यदि इस प्रकार का चमचमाता नहीं रहता तो इस केंवरा गांव का कोई पहचान या जानता भी नहीं। आने वाला आदमी भी नहीं आता। किसी प्रकार से हमने इसका जो नक्शा देखा वो सडक के नेशनल के बीचो–बीच फैला हुआ है, किसी भी प्रकार से इसको बाधित नहीं होनी चाहिए, ये मेरा निवेदन है, ताकि हमारे गांव का विकास हर समय, हर साल कुछ न कुछ बढता रहें होता रहें, यही आशा और उम्मीद। दूसरी बात यह है कि जो साहब ने बाताया कि विस्फोटक जो खुली खदान में ऐसा विस्फोट भारी मात्रा में बारुद भर कर के किया जाता है, जिससे बहुत बडा धरती का कम्पन्न होता है, हमारे गांव में कच्चे मकान है, उस स्थिति में उसका भी ख्याल रखना है कि वो विस्फोटक से कोई ऐसा दुर्घटना न हो उसमें कम मात्रा का विस्फोटक बना कर के विस्फोट किया जाये ताकि हमारी जनता सुरक्षित रहे, डर

			महसूस न करें। एक तरफ बहुत खुशी भी है दूसरी तरफ तकलीफ भी है ये जो अधिग्रहण क्षेत्र जो जमीन है उसमें गांव के बाप दादा ने चंदा करके, सहयोग करके उसका बडा रखाव किया गया है। उसमें आज भी हजारों पेड़–पौधे है, छोटे–बड़े, पेड़ है, पेड़ कटेगा तो उनको तो तकलीफ होगा ही, इतना दिन तक हम लोगों ने उसका रक्षा किया है। इसलिये मैं निवेदन करुंगा कि जो भी रोड बने अच्छा बने, और उसके धूल को प्रदूषण को रोकने के लिए उसके दोनो साईड छायादार वृक्ष लगाये जाने का मैं आप लोगों से निवेदन करुगा ताकि पर्यावरण का कुछ अंश उस पौधों के माध्यम से रोका जा सकें। इसके बाद युवा है जो हमारे क्षेत्र का, उनका विकास अधिक जरुरी है। इसलिए ध्यान देना है और ग्राम के अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति उनको भी लाभ पहुंचाना है। किसी भी प्रकार से हम ग्रामवासी का नुकसान न हो, आप शालीनता से सीधे कोयला निकाले,ट्रक की व्यवस्था बनाये, शांति व्यवस्था बनाये, हमारे ग्राम, हमारे क्षेत्र के सुरक्षा का कम्पनी की जिम्मेदारी होगी। मैं यही चाहूंगा कि हमारी जनता खुशहाल रहें, अपने एक विचार से यहां एक बहुत बड़ा हास्प्टिल खुलना चाहिए, हास्पिटल को विशेष प्राथमिकता देना होगा। हमारे यहां नजदीक में ऐसा कोई बडा हास्पिटल नहीं है क्योंकि ऐसे में ऐसी स्थिति में यहां पर उपचार किया जा सके। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली ये जो हमारे 10 किलोमीटर का एरिया जो बताया गया है। जो चिन्हिन किया गया है इसमें बहुत सारी बिमारी कम्पनी उठाये। धन्यवाद!
04	श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह (पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष)	ग्राम–केंवरा	परियोजना के खुलने से क्षेत्र का विकास होगा। खदान का समर्थन करता हूं।
05	श्री शीतल प्रसाद गुप्ता	ग्राम–दर्रीपारा, भैयाथान	भारत माता की जय, छत्तीसगढ महतारी की जय, छत्तीसगढ महतारी की जय। बड़ा ही पावन समय शीतल प्रसाद गुप्ता, ग्राम–दर्रीपारा, भैयाथान का रहने वाला हूं। मुझे भी इस लोक सुनवाई में आमंत्रित किया गया था। लोक सुनवाई में इस कार्यक्रम में हमारे क्षेत्र के बाबा साहब, सम्मानीय सुरेन्द्र प्रताप सिंह जी, श्री अखिलेश प्रताप सिंह जी, हमारे खान साहब, संतोष सारथी जी, हमारे

			गिरिश कुमार गुप्ता जी ने जो अपना वक्तव्य दिया, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष इसके बाद रामदेव कुशवाहा जी ने। जो बात को मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम–भास्करपारा में आज इस कार्यक्रम में उपस्थित आज भैयाथान एस.डी.एम. साहब, राजस्व विभाग के उपस्थित, समस्त कर्मचारी, प्रकाश इण्डस्ट्रीज के सभी उपस्थित कार्यक्रम में और प्रिन्ट मीडिया और सभी क्षेत्र की जनता और माताऐं, बहनें, जन–समुह सभी को मैं अपना कोटि–कोटि नमन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। बन्धुओं, जिस तरह से गुप्ता जी ने रामदेव कुशवाहा जी ने, जो बात को रखें, कि हमारे क्षेत्र में कोल फिल्ड का इतने बडे इण्डस्ट्रीज का खुलना हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे बेरोजगार बच्चों के लिए, हमारे युवक जो पढे–लिखे लोगों का जो उन्होने जो दायरा रखा कि, 10 किलोमीटर की एरिया को हमारे कोल फिल्ड में रखा जाये और आपसे मेरा यही अनुरोध है, कि जन–भावना, जन मानस को लेकर और दस्तावेज और जनता चाहती भी है कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा, हम सब का विकास होगा और इस क्षेत्र में रहने वाले सभी भाई–बहनों का निश्चित रुप से उद्धार होगा और मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी बाते हमारे कोल फील्ड के कम्पनी जो बातें रखी, तो आखिर जनता व जन प्रतिनिधि कैसे विश्वास रखें, इसकी कॉपी जन प्रतिनिधियों को देना चाहिए, जिससे कल अगर कोई काम नहीं हो पा रहा है, हम इस कागज से आपके पास कि आपने वादा किया था कि ये सब काम करेगें, सही मुआवजा देगें, जैसे ब्लास्टिंग के बारे में रामदेव जी ने बताया कि जिसमें कच्चे घरों में रहने वाले हमारे भाई–बन्धु, माता, बहनें को कभी क्षति का सामना न करना पडें। इससे बडे उद्योग के खुलने से निश्चित रुप से विकास तो होता ही है, और मैं अपनी बात को यही पर विराम देना चाहता हूं और हमारे जन प्रतिनिधि अभी वक्ताओं की कमी नहीं है, अपना–अपना सभी वक्तव्य रखेंगें, जय हिन्द, जय भारत, जय छत्तीसगढ, जय केंवरा के पावन भूमि।
06	श्री अखिलेश प्रताप सिंह (प्रदेश काग्रेंस	भैयाथान	आज जनपद के ग्राम पंचायत केंवरा में प्रकाश इण्डस्ट्रीज के द्वारा पर्यावरण जनसुनवाई रखी गयी है। प्रकाश इण्डस्ट्रीज को मेरी तरफ से ढेर

	सचिव)		सभी शुभकामनाऐं, बधाई। आपने खुले मंच में सारी जनता, सारी प्रतिनिधियों, सारी पब्लिक को आंमत्रित करके अपनी–अपनी अभिमत रखने के लिए आंमत्रित किया, इनवीटेशन दिया, इसके लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाऐं। आज के इस जन सुनवाई में उपस्थित जिला प्रशासन के आये हुए समस्त अधिकारीगण, राजस्व विभाग के समस्त कर्मचारीगण, पुलिस प्रशासन के अधिकारीगण, जवानगण एवं मुख्य रुप से हमारे बातों को ऊपर पहुंचाने वाले मीडिया के साथीगण एवं आठों पंचायत के आये हुए सभी जन प्रतिनिधि, जनता एवं जिन विशेष लोगों की भूमि यहां पर अधिग्रहित की जा रही है, उन सारे लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारे साधुवाद अभिनन्दन। मैं समस्यों की बात तो नहीं करुंगा, मुख्यतः जिस बात के लिए यहां पर जो लोक सुनवाई रखी गयी है वह बहुत ही इस प्रोपर भैयाथान की ही नहीं, बल्कि विश्व की एक समस्या बनी हुई है, वो है पर्यावरण की समस्या और इस पर्यावरण के विषय में इण्डस्ट्रीज के द्वारा जिन बातों को यहां पर रखा गया है हम समस्त जनता प्रतिनिधि आशा ही नहीं विश्वास भी करेगें, आप सभी कार्य करते हुए उस कार्य को गति दें, आप सब को बताने में पीडा भी होती है और अपने मन में भी पीड़ा होती है चाहे वह जंगल हो या समान एरिया हो या कहीं का भी एरिया हो, किसी भी रुप में पर्यावरण का नुकसान न हो। पर्यावरण की मुख्य बिन्दु यदि कोई है तो वो है हरियाली और हरियाली के लिए मुख्यतः चाहिए पेड की आवश्यकता, आप खुली खदान खोल रहे है, ओपन कास्ट माईन का, इसका मैं स्वागत कर रहा हूं, जब कोई माईन आयेंगी , इण्डस्ट्रीज आयेंगी, तो रोजगार आपने आप आती है। इण्डस्ट्रीज खोलना कोई बडी बात नहीं है। सेन्ट्रल गवर्मेंट का स्कीम है कोल आबंटित की गई है, उसमें एक पार्टिसिपेट के तहत् प्रकाश इण्डस्ट्रीज को इस एरिया का कोल ब्लॉक आबंटित हुआ है, इस कोल ब्लॉक के साथ शायद 18 कोल ब्लॉक और हैं, जो आबंटित हुआ है। सर्व प्रथम तो प्रकाश इण्डस्ट्रीज को इसलिए बधाई दूंगा कि उन 18 कोल ब्लॉक आबंटन में सर्वप्रथम प्रकाश इण्डस्ट्रीज ने बढ–चढ के सर्व प्रथम इस एरिया में गति को बढ़ा के अपने

			प्रोसेस को बढाते हुए यहां तक पहुंचा, मैं समझता हूं कि 18 कोल ब्लॉकों में प्रथम पर्यावरण जन सुनवाई प्रकाश इण्डस्ट्रीज के द्वारा करवाई जा रही है, लोगों को यह लगता है कि यह एस.ई. सी.एल. है, मैं आप सब जनता को बताना चाहूंगा और यह प्राईवेट माईन्स है, प्राईवेट माईन्स की ऑपरेटरगिरी प्रकाश इण्डस्ट्रीज करेगी, और उनके डायरेक्टर के रुप में सम्मनीय चतुर्वेदी जी यहां पर प्रजेनटेंशन दे रहे है, अगर आप तक मेरी बाते पहुंच रही है तो मैं चाहुंगा कि जिस तरह से लोग लुभावनी बातें आपने रखी है और जिस तरह बातों को जन सुन सुनवाई के तहत् समझाना चाह रहे है, कि पर्यावरण को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, मैं उन्ही विश्वसों के साथ मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं, कि आप भी उसमें पहल करेगें तो पहल करेगें तो अपनी 100 परसेंट सहयोगात्मक भावना रहेगी। अपनी कहने के अनुसार लिखित में जो 03 चीजों का यहां पर रख रहे है, उन बातों ये यदि आप भटकेंगें तो एक भी समय नहीं लगेगा आपका विरोध करने में और आपको यहां से हटाने में, हम तब तक आपके साथ है जब तक आप हम समस्त जनता के भावनाओं के साथ काम करेगें। मुख्यतः पर्यावरण के विषय में आता हूं यहां पर पहाडी एरिया है, ट्रायबल एरिया है, खासकर जंगल पहाड़ी का एरिया है, आपके कोल माईनस में कुछ मैदानी एरिया, कुछ पहाडी वर्ग, कुछ छोटे–बडे नाले, तालाब, डैम, मैं यह चाहुंगा कि सर्वप्रथम छोटे नाले, तालाब, डैम, छोटी डबरी जहां पर जल संवर्धन किया जा रहा है उनके ऊपर विशेष कर आपका ध्यान हो, कोल माईन्स में जहां भी आप काम करेगें जहां छोटी पेड़ हो, या बडी पेड हो हम सारे प्रतिनिधियों की मौजुदगी में उतने पेड़ भी हमारे आस–पास आप लगा कर दिखाते चले, जगह हम देंगें, एरिया हम देंगें, फारेस्ट विभाग में तो उनकी जगह में आप जगह यहां की ली जा रही है, और उनको उनकी संरक्षण भूमि कहीं 200 किलोमीटर दूर दी जा रही है। पेड़ हमारे नुकसान हो रही है, हरियाली जाकर कहीं बस्तर में बनेगी, हम सुखे जगह में कहां रहे, मैं चाहुंगा कि यह एरिया ऑलरेडी पहले से ही ड्राई एरिया है और इसको विरान न बनाया जाये, हम एक तरफ तो

			शुभकामनाऐं भी दे रहे है और दूसरी तरफ आपसे यह आशा रखेंगें कि आपके द्वारा जो पेड़ काटे उनकी जगह हर वर्ष आपके द्वारा पेड लगाई जाये, वो लगाने का मतलब वो पेड जीवित हो, वो पेड फले–फूले, आगे बढे, उनके लिए जल से लेकर उनकी जो मेहनत होती है एक बच्चे की तरह, पालने की तरह ,उनकी तरह संरक्षण कर पेड़ों को बढाया जाये, जब पेड़ आगे हो, जब हरियाली आयेगी, तभी हमारा पर्यावरण सुधरेगा, तभी हमको स्वस्थ्य वातावरण, वायु मिलेगी। आप सब जानते है सारे लोग 01 वर्ष पूर्व हम जिस बीमारी से पीडित थे, उसमें प्रथम कहीं किसी चीज आक्सीजन की कमी हो रही थी, उसमें बडा योगदान पर्यावरण का ही था, एक तरफ जंगल की कटाई, एक तरफ पेड़ों की कटाई, दूसरे तरफ ऑक्सीजन हम सिलेण्डर से ऑक्सीजन ले रहे थे, शुद्ध हवा की कमी में, तो उन चीजों को नुकसान करने से जितनी हमारी नुकसान हो, हमारे एरिया से जितना नुकसान हो, उतनी चीज का प्रकाश इण्डस्ट्रीज द्वारा भरपाई भी की जाये, प्रत्येक वर्ष समस्त जनता के द्वारा, समस्त प्रतिनिधि के द्वारा, समस्त सम्मानीय नागरिकों के द्वारा, हर वर्ष आपका लक्ष्य हो, कि प्रकाश इण्डस्ट्रीज के द्वारा आशा करें कि हर साल एक लाख वृक्ष इस एरिया में लगाये, चाहे व 100 किलोमीटर की एरिया में हो चाहे वह भैयाथान के एरिया में क्यों न आये, वहां में प्रथम बिन्दु में बोझ लगे तो वह प्रकाश इण्डस्ट्रीज के द्वारा लगे, और प्रकाश इण्डस्ट्रीज के द्वारा ये पेड़ लगाई जाये, चाहे नदी का किनारा हो, चाहे नाला का किनारा हो, चाहे व मैदान ही क्यों न हो, चाहे पहाड़ ही क्यों न हो, हर वर्ष जब आप इतने पेड़ लगायेंगें, तभी कहीं न कहीं इस पर्यावरण की बचाव हो सकेगी, और विश्व में जो सबसे बडी समस्या है पर्यावरण की है वो दूर की जा सके, शासन की मंशा होती है कोल माईन्स आबंटन करें, बाक्साईट की माईन्स आबंटन करें, मैग्नीज की माईन्स आबंटन करें, जिससे एक राजस्व की इन्कम हो, और उस इन्कम के द्वारा शासन चलाई जा सके, मैं केन्द्र सरकार को अपनी तरफ से बधाई दूंगा कि उन्होने इस क्षेत्र कोल आबंटन को आबंटित किया, यहां के लोगों को रोजगार देने के लिए यहां के क्षेत्र में कोयला खदान है

			उसके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाऐं, जैसा कि थोडी देर में वक्ताओं ने बोला हम ट्रायबल एरिया के लोग है, हम कम पढे–लिखे है, हम कम टेक्निकल पर्सन है, तो हमारी उन भावनाओं को समझते हुए आप इण्डस्ट्रीज में उनकी योग्यता अनुसार उनको कार्य में रखा जावे, एक स्कीिल्ड और नॉन स्कीिल्ड की बात आती है, आप और हम एम.ए. तो जरुर है, पोस्ट ग्रेज्यूऐट तो जरुर कहलायेंगें, एल.एल.बी. तो जरुर कहलायेंगें, टेक्निकल सेंस में बात करें तो हम जीरो कहलायेंगें, तो पता चला कि हम पोस्ट ग्रेज्यूऐट है और आप के पास हम एमप्लॉई बन कर जाये तो हम नॉन स्कीिल्ड कहलायेंगें, इसकी परिभाषा स्पष्ट एवं क्लीन होनी चाहिए, जिस प्रकार के ऐसे आपके पास कार्यकर्ताओं की, किस ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता रहेगी, जिन्हे आप अपनी एमप्लोई बना सके, और आज की मंहगाई के अनुसार उन्हे अपना वेतन दे सके, एक नॉन स्कीिल्ड लेबर की प्राईज या कॉस्टींग, दिन दिहाडी जो बोली जाती है वह 300 हंड्रेड रुपिस है, नार्मल व्यक्ति जो पढा–लिखा व्यक्ति है वो तो आप से एक्सेपटेसन करेगा ही कम से कम हमे 600–700 रुपया पर डे मिले, और विकास की बात करें तो कभी हम नेक्स्ट बिन्दु पर बात करेंगें कि आपके द्वारा एक हास्पिटल बने, स्कूल बने, मुख्यतः आज का विषय पर्यावरण है, तो मै फोकस पर्यावरण पर ही करना चाहूंगा, मुख्यतः जितने भी यहां छोटे नाले हो, चाहे वह डेम हो, मैं एक फोकस करना चाहूंगा, उस माईन्स एरिया की ओर जहां छोटे–बड़े डेम है, जब ओपन कास्ट माईन वहां पर खोली जायेगी, तो निश्चित तौर पे पत्थर, हॉर्ड स्वाइल, लूज स्वाइल सारी निकाले जायेगें। मिट्टी की ढेर लगेंगी, जब रैनी का टाईम होगा, बरसात का टाईम होगा,जब पानी गिरते रहेगा तो नेचुरल वाटर सोर्सिंग होगा वह जिधर ढाल पायेगी, उधर ही उस पानी का सोरसिंग रहेगा। प्रकाश इण्डस्ट्रीज के द्वारा जो वायदा किया गया है, कि हम उसकी रख–रखाव के साथ बडी नाली बना के उसका विकास करेगे, मैं ये क्वेश्चन मार्क मेरे आपने अन्दर भी सॉल्व नहीं हुआ, इसलिए कि नाली बना के भी उस पानी को नहीं निकाला जा पायेगा, क्योंकि पानी जिधर ढाल पायेगी उधर ही जायेगी, इसलिए

			उसकी रख–रखाव अच्छे ढंग से हो और निकालने के साथ पानी जो निकलेगी वह माईन्स एरिया में नहीं आऐंगें, वह संरक्षित रहेगें वह सुरक्षित रहेगें, इन्ही सारी बिन्दूओं के साथ मेरी ढेर सारी शुभकामनाऐं एवं बधाई। निश्चित तौर पर आप आये है, हम आपका स्वागत करते है, जय हिन्द, जय भारत, जय छत्तीसगढ,
07	श्री राकेश पाठक (प्रभावित क्षेत्र से)	ग्राम– कुसमुसी	श्री अखिलेश प्रताप जी जो अभी बोले है हम लोग उनकी बातों का समर्थन करते है।
08	श्री भुनेश्वर राम राजवाड़े	धनौली खुर्द	खदान खुलना चाहिये, हम सहमत है। सहमत है, सहमत है, खदान खुलना चाहिये, खदान खुलना चाहिये, जय हिन्द।
09	श्री बनारसी सिंह (सरपंच)	ग्राम पंचायत– कुसमुसी	मैने ग्राम पंचायत कुसमुसी का वर्तमान में हमारी वाईफ ने 20 साल से सरपंची कर रहे है, अभी हमारे इस बीच में अखिलेष प्रताप बाबा जी ने बताये है उसके माध्यम से कोल फील्ड लिमिटेड कहा कि हमारे 08 ग्राम पंचायत में कर रहे है, हमारे गरीब जो है, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, हम लोग का समर्थन है, बाबा जी बताये है उनका भी हम समर्थन करते है, जय हिन्द।
10	श्री आशीष प्रताप सिंह	ग्राम– केंवरा	मैं इस प्रोजेक्ट का स्वागत करता हूं, और यह होना चाहिए, इससे क्षेत्रवासियों का क्षेत्र का विकास होगा, मैं स्वागत करता हूं इस प्रोजेक्ट का।
12	श्री सीताराम कुशवाहा,	ग्राम– केंवरा	मेरा नाम सीताराम कुशवाहा, ग्राम–केंवरा, आज यहां उपस्थित सभी जन लोगों का मैं स्वागत करता हूं, और सबका नमन करता हूं, अभी बहुत सारे वक्ताओं ने अपने–अपने मत रखें, बहुत सारे बात सामने भी आये है, उन बातों दोहराना मैं उचित नहीं समझुंगा। लेकिन मैं दो–तीन बिन्दूओ पर बात करुंगा, आज हमारे ओर से यह कहना है, हम लोग इस क्षेत्र के निवासी है, और यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, गरीबी से जूझ रहा है, थोडा बहुत किसानों के पास जमीन है, जमीन के हिसाब से उनका जीवन यापन हो रहा है। किसान का मात्र एक ही आधार है वह है जमीन, जमीन हम देने को तैयार है, और इस प्रोजेक्ट का स्वागत करते हैं, आप सभी शासन के नियमानुसार और उपस्थित जनता के भावना के अनुरुप, जो भी बाते मंच तक आपके आयी है, उनको आप ही शत प्रतिशत अमल करने का

			कष्ट करेगें। प्रायः यह देखा जाता है कि जो भी गलती होता है उसमें दोषी किसान होता है, आज जहां भी चलिये दोषी किसान को मड देते है, रहा सवाल पर्यावरण का, पर्यावरण में ही देखिये, पर्यावरण में कोई काम नहीं करता, पर्यावरण में बहुत सारे बिन्दु हैं, बहुत सारे चीज है जिससे पर्यावरण हो रहा है, लेकिन मीडिया के माध्यम से, कुछ मीडिया के के माध्यम से यह देखा जा रहा है, कि किसान पैरा जला के प्रदूषण फैला रहा है, तो किसान ही दोषी नही है, दोषी बहुत सारे लोग है, पर्यावरण का संरक्षण का अगर बात है तो इसमें सभी जिम्मेदार है और पर्यावरण को बचाये रखना ही हमारे जीवन की रक्षा है, इसके लिए जो भी सुझाव हम आप लोग को भी करना चाहिए, और हम लोगें जो हो रहा है हम लोग करेंगें, मैं आशा करुगां कि इस मंच में बहुत सारे सुझाव आये है, उस सुझाव को ध्यान देते हुए उस पर अमल करें, इस क्षेत्र के विकास के लिए यह प्रोजेक्ट आवश्यक भी है, मैं इसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद!
13	श्री दिलीप जायसवाल (उपसरपंच)	ग्राम केंवरा	सर मैं एक युवा हूं, और युवा के साथ एक बेरोजगार भी हूं, मैं चाहता हूं कि हमारे गांव के जो युवा है उनको इस कोल फिल्ड के माध्यम से रोजगार का माध्यम मिले, और उनको नौकरी लगे, यहां के बहुत सारे लोग का बहुत कम जमीन फंस रहा है यहां पे, पर युवा बहुत ज्यादा है यहां पर, और मैं युवा का प्रतिनिधित्व करता हूं यहां से और मैं चाहता हूं कि युवा को नौकरी मिले यहां, इसी के साथ मैं प्रकाश इण्डस्ट्रीज का स्वागत करता हूं कि इण्डस्ट्रीज खुले और यहां के लोगों को नौकरी मिले।
14	श्री नरेन्द्र कुमार साहू	ग्राम पंचायत बस्कर	प्रकाश इण्डस्ट्रीज कम्पनी को जो ये कोल भास्कर के नाम पर आबंटन किया गया है, मैं इसमें अपनी बात रखने से पहले, आज इस लोक सुनवाई में उपस्थित मंचासीन हमारे एस.डी.एम. महोदय, पर्यावरण लोक सुनवाई के पर्यावरण विभाग के अधिकारी, तहसीलदार, सुरक्षा प्रदान करने वाले पुलिस विभाग के साथीगण, और प्रकाश इण्डस्ट्रीज के पक्ष एवं विपक्ष में विरोध दर्ज करा रहें है, आठों पंचायत के उपस्थित समस्त ग्रामीणजन, हम यहां पे 2021 में ही प्रकाश इण्डस्ट्रीज के विरोध में ग्राम सभा का प्रस्ताव रख कर कम्पनी न डाले ऐसा प्रस्ताव

			पारित कर चुके है, बडा दुःख होता है मुझे यह बात कहते हुए, कि महज कुछ लोग यह सोचते होगें, कि प्रधान मंत्री, राष्ट्रपति, और सुप्रीम कोर्ट के जज इस देश के सर्वोपरी पद पर बैठे हुए लोग ही खुदा है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस देश में भारतीय संविधान सर्वपरि है और सब भारतीय संविधान के अधीनस्थ है तो दुर्भाग्य है कि आज यहां का कार्यक्रम भारतीय संविधान के विपरीत कार्य चल रहा है। ये बात मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि जब भारतीय संविधान के आर्टिकल 244 में 22 वां संशोधन में यह स्पष्ट किया गया कि ग्रामसभा, ये एक ऐसा माध्यम है जो 5 वीं अनुसूची क्षेत्र में अपना विशेष अधिकार स्थापित कर सकता है और भारतीय संविधान ही हमें इस देश में अपने अधिकारों को दिलाने के लिए सर्वोपरी महत्वपूर्ण संविधान दिलाता भी है, जब इस के संविधान में 5 वीं अनुसूची क्षेत्र में ग्रामसभा को बहुत विशेष महत्वपूर्ण माना गया है, यह कहा भी गया है जो हैसियत लोकसभा में, विधान सभा में सदस्यों की होती है, उतनी ही हैसियत ग्रामसभा में उपस्थित ग्रामीणों की होती है, जब ग्रामसभा में ग्रामीण उपस्थित होते है तो उनको सदस्य के नाम पर चिन्हाकिंत किया जाता है उस दिन वो ग्रामसभा में सदस्य होते है, जैसे लोकसभा में हमारे क्षेत्र से चुन कर गया हुआ सांसद सदस्य होता है, हमारे क्षेत्र से चुन कर जाया हुआ विधायक सदस्य होता है, उसी तरीके से ग्रामसभा में समस्त ग्रामीणजन सदस्य का किरदार निभाते है, और जितना महत्व इस देश में विधानसभा का होता है, जितना महत्व इस देश में लोंकसभा का होता है, उतना ही महत्व ग्रामसभा का होता है, और ग्रामसभा में जो सदस्य उपस्थित होते है और जो सर्वसम्मति से जो पारित करते है, उसे राज्य सरकार व केन्द्र सरकार सर्वपरि मानती है, भारत में जितनी भी योजनाऐं चलाई जा रही है, उन योजनाओं को अगर 5 वीं अनुसूची क्षेत्र में अमल में लाना है तो सरकार को, मैं चाहुंगा कि आप मेरी बातों को टाईप करिये, आप मेरी बातों को दर्ज करिये, मैं यहां पर भारतीय संविधान के उन नियमों को बताने के लिए यहां पर उपस्थित हुआ हुं जो हो सकता है, यहां पर उपस्थित बहुत से लोगीं को यह बात मालूम नहीं होगा, जब

			ग्रामसभा में ये बात जब प्रस्ताव में पारित कर दिया गया कि हमारे ग्रामपंचायत में किसी भी प्रकार का कोई इण्डस्ट्रीज नहीं चाहिए, तो जनसुनवाई काहे का, फिर जनसुनवाई काहे का, जब हमने पूर्व में ही अपने जन जंगल जमीन बचाने के लिए, अपने क्षेत्र में पर्यावरण व्यवस्थित रखने के लिए अपने ग्रामसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया, तो फिर यह जनसुनवाई करने की कोई आवश्यकता औचित्य नहीं लगती, लेकिन भारतीय संविधान के आर्टिकल 244 के विपरीत जाकर जो आज यहां पर जनसुनवाई का कार्यक्रम रखा गया है, तो मैं मानता हूं कि भारतीय संविधान का विरोध हो रहा है, अगर हम यहां पर प्रस्ताव पारित करके भास्करपारा कोल माईन्स का प्रकाश इण्डस्ट्रीज के द्वारा नहीं खोलने के लिए प्रस्ताव पारित किया, तो फिर भी जनसुनवाई किया जा रहा है, तो जवाब देना होगा, कि ये जनसुनवाई फिर किस लिए किया जा रहा है, हम आप सबको यह विदित है कि अब तक जितने भी गांव गलियों में 01 इंच का भी अगर गढ्ढा कोढा गया तो उसमें ग्रामसभा का प्रस्ताव अनिवार्य रुप से उस कागज को संलग्न करने की बात हमारे सरपंच व सचिवों को कहा गया है, यह गणमान्य जितने भी लोग उपस्थित है जिसमें जनप्रतिनिधियों में सरपंच, जनपद व जिला के प्रतिनिधि है अगर वो लोग बिना ग्रामसभा का प्रस्ताव लगाये अगर 01 फिट का भी गढ्ढा कोढवाये हों, तो यह बात यहां पर बताऐ और जिले का प्रशासन अगर 01 इंच का भी गढ्ढा किसी गांव में बिना ग्रामसभा के सहमति के अगर खुदवाया हो तो वह जिला प्रशासन बताये, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर यहां पर यह सुनवाई किसलिए, हमने पूर्व में ही 2021, हम लोग को वो दिन याद है कि हमने 18 तारीख नवम्बर में हमने माननीय राज्यपाल, राष्ट्रपति को ग्रामसभा के प्रस्ताव के साथ अपना ज्ञापन सौंपा था, यह कहकर सौंपा था कि ग्रामसभा की मजबूती आपको बनानी है, जो ग्रामसभा जिसे पूरे विश्वास के साथ गांव में अमेन्डमेंट किया जाना चाहिए वो विश्वसनीयता खतम न होने पाये इसलिए राज्यपाल महोदया को और राष्ट्रपति महोदया को हमने ज्ञापन सौंपा था, इस भरोसे और जिस विश्वास पे कि ग्रामीणों

			के साथ अन्याय नहीं होगा, और जिस ग्रामसभा को पूरे देश में तीसरा सदन माना गया, जहां पर इस सदन में किसी पर किसी प्रकार का अन्याय न हो ऐसी विश्वास के साथ ये सदन को महत्व दिया गया ऐसे सदन का अगर आज अवहेलना हो रहा है तो ऐसे में इसका जवाब देना होगा, और रही बात पर्यावरण की सुरक्षा, जन मानस की सुरक्षा के बारे में तो भटगांव में एस.ई.सी.एल. के द्वारा जो संचालित खदान है जहां पर लगभग 08–10 मीटर का ईलाका धंस गया है जहां महीनों से लोग धरना प्रदर्शन किये हुए है शायद ये अमला अधिकारी उसकों अपने संज्ञान में ले लेता, जो महीनों से वहां बैठे है धरना प्रदर्शन में उन्हे बैठने की जरुरत नहीं होती। उन्हे बैठने की जरुरत नहीं होती। जो मांग कर रहे है वो यहां पर महीनों से संघर्ष कर रहे है, जो यह कह रहे है कि हमें जो यहां पर क्षति हुई है हमें क्षतिपूर्ति दे हमें दो, हमें नौकरी रोजगार दे दो, तो उन्हे ये आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन दुर्भाग्य है एक अन्याय जहां हुआ है वहां न्याय दे नहीं पा रहे है, और यहां दूसरा अन्याय करने के लिए जनसुनवाई हो रही है। मैं आप लोगों को यह बताने के लिए इस मंच में आया हूं कि भारतीय संविधान सर्वपरि है, और पूरा देश भारतीय संविधान के अधीनस्त होकर चलता है, और देशद्रोह का आरोप उन के उपर ही लगेगा जो भारतीय संविधान के विपरीत जाकर कार्य करता है, मैं आप लोगों से पूछता हूं कि भारतीय संविधान का 22 वां संशोधन जो 1969 में हुआ, जिसमें भारतीय संविधान के आर्टिकल 244, आप बताये इस मंच के माध्यम से क्या कहता है, क्या कहता है आप बताय क्यों लोगों से जनसुनवाई की बात पूछ रहे है, क्या अच्छा लगता है, क्या बूरा लगता है, आप ये खीर का कटोरा सोने में लेकर भी अगर रखेगें, लेकिन खाने की इच्छा किसी को नहीं है, तो यह तय नहीं करना है कि खीर बहुत अच्छा है, वह खाने वाले की मंशा पर डिपेन्ड करता है, जो खाना चाहता है या नहीं खाना चाहता है, लम्बे समय से हमने यह देखा है कि इस देश पर आजादी के नाम पर हम लोग के पूरखों ने लडाई लडी, सुना है आप लोगों ने क्या इस दिन के लिए लडी, जहां पर इस देश में जो नियम कानून बनाये गये है उसी का धडल्ले

			से उल्लघंन किया जाये, इसलिए ये देश आजाद हुआ, जो इस देश में समता बधुंत्व न्याय की जो बात कही गई, आज कहां पर समता पर, कहां पर बधुंत्व पर है और कहां पर न्याय मिल रहा है। अगर न्याय मिलता तो भटगांव के 09, 10 गांव के लोग जो 30 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे है क्या करने की जरुरत होती, जो ये ढींढोरा पीट रहे है उन्हे कहिये ये ढींढोरा अपने घर में बैठ कर पीटिये, हम भगत सिंह के संतान है। हम भगत सिंह को मानने वाले लोग है, हम आज भी आजादी के लिए संघर्ष करते रहेंगें, हम करते रहेगें, कर लो कितना भी जुल्म जादसी, लेकिन जिस पर्यावरण को बचाने के लिए इस देश के मूल निवासीयों को ये अवसर मिल गया है, ये अवसर वो अपने हाथों से नहीं जाने देंगें, हमें अपनी जान की बाजी लगानी पड जाये तब भी हम प्रकाश इण्डस्ट्रीज को अपने गांव गली में अपने जल जंगल जमीन को नष्ट करने नहीं देगें, आप बेशक बुला ले, आप बेशक बुला ले अपनी फौज, बेशक जुटा ले अपने जन समुदाय में समर्थक लेकिन जो गांव में रहने वाले जो ग्रामीण है, जिनको सदियों से उपेक्षित किया जा रहा है वो आज नही तो कल जागकर के अपने अधिकार की लडाई लडेंगें, आपके इस जनसुनवाई में आपको क्या लगता है, आपको ये लगता है कि जो खेतों में नागर जोत रहा है, जो बनी मजदूरी कर के अपना जीवन यापन कर रहा है, अपने साथ हो रहे अन्याय को बोल पायेगा, इसलिए ये जो जनसुनवाई आप लोग करे हैं आप लोग करियें, लेकिन जो गांव के लोगों ने भारतीय संविधान के ताकत के अनुसार जो ग्रामसभा का प्रस्ताव पारित कर दिया है आप उस प्रस्ताव पर ध्यान जरुर दे, ग्रामसभा का प्रस्ताव यह पारित कर चुका है कि हमें किसी प्रकार का कोई माईन्स नहीं चाहिए, और जिस तरीके से हसदेव अरण्य में अभी गांव का विरोध अभी चल रहा है, वो विरोध चल रहा है, ऐसे ही विरोध चलता रहेगा और गांव-गांव गली-गली हर सुब्बे में यह विरोध चलेगा, आप अपना काम करते रहिये, हम अपना काम करते रहेगें, इसी बात को लेकर मै यहीं पर अपनी बातों को विराम देता हूं, सभी साथियों को सेवा जोहार करता हूं।

15	श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह	ग्राम–धनौली (स्पष्ट नहीं)	हमारे बीच में पधारे हुए चौथे स्तम्भ के रुप में सम्मानीय मीडियागण, और इस प्रागंण में पधारे जितने भी पंचायत के प्रतिनिधि सरपंच, जनपद सदस्य, सम्मानीय बुजुर्ग एवं नौजावान साथी, हमारी माताऐ व बहने, इस क्षेत्र से जितने कार्यक्रम में उपस्थित है। सभी सम्मानीयजनों का मै अभिवादन करता हूं। कहने के लिए गर्जने के लिए बहुत सारी बाते है, गरज सकते है, बरस सकते है, लेकिन मैं संक्षिप्त में कुछ निवेदन करना चाहता हूं, पहले अधिकारीगण से निवेदन करता हूं, प्रोटेस्ट करने वाले ऐसे महत्वपूर्ण को चिन्हाकिंत करके और मेरा निवेदन है कि उनसे एक बार चर्चा करना चाहिए, कार्यक्रम यानी कहना चाहिए कॉलरी खोलने की बात जो चल रही है स्वीकृति और अस्वीकृति के बारे में पब्लिक स्वीकृति और अस्वीकृति के बारे में, हमारे क्षेत्र से जो भी हो, जो विरोध कर रहे है, ऐसे सम्मानीय जनों से बात करना चाहिए, मैं ऐसी विचारधारा का हूं, जहां तक संविधान की दुहाई देने वाले है, मैं उनसे आग्रह करता हू कि इस क्षेत्र में कोयले का प्रचूर मात्रा में भण्डार है, कई ऐसे दुर्घटनाऐ हो चुकी है, जिसमें लोगों की जाने जा चुकी है, व्यवस्था को लेकर वो कहां थे जिस समय लोग मरे इस क्षेत्र में, और इसकी गारण्टी देंगें क्या कि आज देश जो बिजली संकट उत्पन्न हो गया है, जिसके लिए कोयले की जरुरत है, मैं नहीं कहता कि हमारे क्षेत्र में पर्यावरण नष्ट कर के खदानें खोली जाये, मैं यह नहीं कहना चाहता कि पूरे पब्लिक जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध हू मैं, ऐसा भी नहीं है मेरा कहना, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये क्षेत्र से कोयला का चोरी होता है कि नहीं होता है, चोरी करने वाले कौन है, कहीं उनका विरोध तो नहीं हो रहा है, लेकिन मैं इसका पक्षधर हूं, जो विरोध कर रहा है उनका, सम्मानपूर्वक बात होना चाहिए, ऐसा मेरा प्रस्ताव और निवेदन दोनों है, उनको बुलाके जो भी विरोध करते है मंच के सामने आये, अधिकारियों के सामने आये, संविधान की दुहाई देने वाले, संविधान को जानने वाले सब लोग है, संविधान के बल पर पूरा भारतीय है, स्वंत्रता का नारा लगाने वाले चाहे वह जय भीम का नारा लगायेगा, चाहे कोई भगत सिंह का नारा लगायेंगें, हम किसी का नारा लगायेंगें, इसलिये

			कॉफी होता है, प्रासंगिक बात होना चाहिए कि खदान खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए, प्रोटेस्ट हो वाजिब हो उसी पर विचार होना चाहिए, लेकिन ये भाषणबाजी यहां तो वहां, रहने के लिए बहुत सी बाते है, मैं पहली बार आया हूं यहां, इसलिए मैं संक्षिप्त में उद्बोधन दूंगा, जब जरुरत पडेगा तो आउगां अपना सुझाव रखूंगा और दूंगा, मैं इस पक्ष में हूं कि लोगों के हितों का संरक्षण होना चाहिए आपके द्वारा आपके बात करनी चहिए कि आखिर उनका प्रोटेस्ट किस बात को लेकर है, क्षतिपूर्ति को लेकर है, मुआवजे को लेकर या कोई और, गांव विस्थापित न हो, अनुविभागीय दण्डाधिकारी बैठे हुए है, उनसे बात करनी चाहिए कितने घर विस्थापित हो रहे है और वैसे जानकारी है कि नहीं के बराबर है, लेकिन मुआवजे को लेकर उनसे बात करनी चाहिए विरोध करने वाले को, कि मुआवजे की राशि यदि कम लग रहा है तो उस मैटर पर बात करनी चाहिए, क्षेत्र के विकास के बारे में, कहां त्रुटि है और कहां भूल हो रही है, ऐसे तथ्यात्मक विकास जो लोगों को मिलनी चाहिए उस पर बात होनी चाहिए, संविधान की दुहाई देकर पूरे भारत में बन्द करा दिया जायेगा क्या, कोयला कहां से आयेगा, बिजली कहां से मिलेगी लोगों को, बस मैं अपनी वाणी पर विराम लगाता हूं। धन्यवाद, जय हिन्द।
16	श्री सुनील साहू (जनपद सदस्य)	ग्राम–बड़सरा	यहां उपस्थित अधिकारी कर्मचारी मेरे गांव और प्रभावित क्षेत्र की समस्त जनता, माताए, पिताए, और महिलाऐं और बच्चे जो अपने अधिकार, अपनी लड़ाई और अपना विरोध दर्ज कराने यहां पर उपस्थित हुए है, आज जो यह लोक सुनवाई रखी गई है, लोक सुनवाई को तत्काल निरस्त कर देना चाहिए, संरपंच जी दस्तावेज दें, लोक सुनवाई को तत्काल निरस्त करने का आधार मैं बताता हूं, मैं आपको कि आपके द्वारा यह बुक दिया गया है, आपके द्वारा जो खबरों में, पेपरों में जो ईश्तहार छापा गया था उसमें स्पष्ट रुप से लिखा गया था कि क्षेत्रीय भाषा अंग्रेजी व हिन्दी में जो भी जानकारी हो वो दी जाये, लेकिन आप लोगों के द्वारा ये अंग्रेजी में दिया गया है, अंग्रेजी अगर कोई जानता हो और कोई पढ़ कर बता सकता है मुझे बताये, कोई भी जनता अगर अंग्रेजी जानता हो, इस बुक को पढ़ कर तत्काल यहां हिन्दी में

			अनुवाद कर दे तो वह सामने आ जाये, या तो आप सब अधिकारी इस बुक को पढ़ कर हमें बताये तो हम इस जन सुनवाई में अपनी बात रखें, क्यों के आपने इसमें क्या लिखा है हमें इसकी जानकारी ही नहीं है, हमारे सरपंच, हमारे गांव वाले इसके बारे में जान ही नहीं रहे है, अगर आप लोग जानते है तो यह बुक है जो अंग्रेजी में आपने दिया है, इसकी क्या हम पूजा करे या पढ़े, कि अपनी बात क्या रखे हम लोग, ये पूजा करने के लिए दिये है आप लोग क्या, ये गीता भागवत है, महापुराण है, क्या है ये, किस प्रकार की जन सुनवाई करना चाहते है आप लोग, इसमें बहुत सारी बातों को मैनें पढ़ा है, जिसमें इस क्षेत्र की बहुत सी चीजों को आपने छुपाया है, आपने उसी चीज को लिखा है जो आपके फायदे की है, जनता की फायदे की इसमें कोई बात आपने नहीं लिखी है, इसलिए सर्वप्रथम मेरा आपसे निवेदन है कि इस जन सुनवाई को तत्काल निरस्त किया जाये, इस बुक को तीन भाषा में छाप के दिया जाये, उसके बाद आगे बात किया जाये, अन्यथा जो जनता हजार की संख्या में आई है वो आगे दस हजार की संख्या में आयेगी, जनता को कोई रोक नहीं सकता, वो अपनी बात रखेगा, अगर इन बुकों को आपको आवश्यकता है तो आप इन बुकों को रखियें, हमें इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, मेरी निवेदन स्वीकार कीजियें, इस जन सुनवाई को तत्काल निरस्त किया जाये, इस बुक में जब मैं पढ़ रहा तो बताया गया है कि इस क्षेत्र का जो पर्यावरण है जो इतना शुद्ध है इतना शुद्ध है और साफ है कि यहां सभी पेड़ काट दिये जायेगें तो भी पर्यावरण को कोई दिक्कत नहीं होगी, जबकि इनके द्वारा ये बात भी छुपाया गया है कि प्रभावित क्षेत्र से 10 किलोमीटर के रेडियस में, 10 किलोमीटर के क्षेत्रफल में कोई परियोजना नहीं है जबकि इनके बुक में स्पष्ट लिखा गया है पटना तक के गांव के नाम लिखे गये है उधर खोड, सोरगा और इधर भैयाथान, और इधर मैईसरा तब सब के गांव लिखे गये है, रम्पा चौपान तक के, लेकिन पाण्डवपारा कॉलरी का उल्लेख नही किया गया है क्यों महोदय चाहते है आप इसको दबा के, क्यो दबाना चाहते है, क्यों आप लोगों ने इस बुक में उसका उल्लेख नहीं किया, क्यों उल्लेख नहीं किया, इसलिए क्योकि उस परियोजना से

			उस कॉलरी से जो क्षेत्र की जनता है वो परेशान है, प्रताडित है, वातावरण प्रदूषित है, जिसका जिक्र नहीं किया गया है यहां मेरे पत्रकार साथी उपस्थित है, आज से साल भर पूर्व, आज से साल भर पूर्व मैने पाण्डवपारा जी.एम. को पत्र लिखा, ज्ञापन दिया वहां के कलेक्टर को ज्ञापन दिया, सूरजपुर के कलेक्टर को ज्ञापन दिया, जिसको मेरे पत्रकार साथियों ने प्रमुखतः से प्रकाशित भी किया, कि वहां के काला पानी से यहां की जनता और यहां की खेती योग्य जो भूमि है पूर्ण रुप से बंजर होने जा रही है,प्रतिवर्ष बंजर होती जा रही है लेकिन वहां के दानों कलेक्टर के बयान छपे थे कि हम लोग देखेगें, निराकरण करेगें, आज तक, वो कलेक्टर बदल गये, सालो बीत गए लेकिन समस्याऐं जस की तस है, आप लोग कहते है कि पैसा देंगें, पैसा देंगें, मकान देगें, संसाधन देगें, सुविधा देंगें, माईन्स खुलेगा तो बहुत सारे रोजगार के अवसर खुलेगें, आप लोग को बता दूं, सरगुजा संभाग में कितने माईन्स है, आप लोग अधिकारी कर्मचारी है, मेरे क्षेत्र की जनता सब जानती है कितने माईन्स है और कितने लोगों का आपने उद्धार किया है, कितनी जनता परेशान है ये भी सर्वविदित है, और सबको ज्ञात है, सुविधा के नाम पर यहां पे कोई भी चीज नहीं है, किस सुविधा की बात करते है आप लोग, किस रोजगार की बात करते है, तीन हजार की मजदूरी देने की बात करते है आप लोग, दस हजार की मजदूरी की दर है उसको आप लोग नौकरी कहते है क्या? सरगुजा संभाग के हजारों नहीं कई हजार हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि बंजर हो गये है इसी माईन्स के कारण, प्रति दिवस यहां से 40 बैगन सरगुजा संभाग से कोयला जाता है, प्रति दिवस 40 बैगन, क्योंकि हम सामान्य रुप से यदि एक गाडी कोयला खरीदते है जो 1.5 से 2 लाख रुपये कीमत होती है और एक बोगी में कम से कम 10 ट्रक आते होगें, मुझे लगता है कि कई हजार करोड के कोयला प्रति दिवस जा रहे है, और सुविधा के नाम पर हमें सिर्फ यहां के वातावरण को प्रदूषित किया जा रहा है, यहां के खेती योग्य भूमि को प्रदूषित किया जा रहा है, यहां के जनता को उनको प्रतिदिवस चंद रुपये दे कर उनको प्रतिदिन जहर का इन्जेक्शन दिया जा रहा है, कि आप थोड़ा सा पैसा ले लो, चले जाओ, विस्थापित

			हो जाओ, अपने जल जंगल जमीन को छोड दो, अपना घर छोड दो, कहां जायेगें साहब ये गरीब लोग, आप लोग चाहते है छोड दो, अरे गरीब को एक घर बनाना है तो पूरा उसका जीवन लग जाता है, तब जाकर वो अपना घर बना पाता है, और उनको आप विस्थापित बेदखल करना चाहते है, माईन्स से विकास बताते है, अगर माईन्स से विकास होता, कोयला उत्खनन से विकास होता तो आज मैं मानता हो कि सरगुजा संभाग पूरे छत्तीसगढ़ में एक नम्बर पर होता, यहां पर न स्वास्थ्य की व्यवस्था होती, न शिक्षा की व्यवस्था होती, न सड़क, न बिजली, न पानी, लेकिन उन मूलभूत सुविधाओं की जगह जो किसी भी प्रकार की कोई मूलभूत सुविधाऐं नहीं है, अगर हमारे गांव का या किसी भी प्रकार का कोई घटना या दुर्घटना को लेकर सूरजपुर से लेकर अम्बिकापुर तक किसी प्रकार की इलाज की कोई व्यवस्था नहीं, अगर हमें ईलाज कराना है तो रायपुर और बिलासपुर का मुंह ताकना पड़ता है, दिल्ली जाना पडता है, क्यों साहब, जब हजारो करोड़ों रुपये प्रतिदिवस हमारे इस क्षेत्र से कोयला परिवहन हो रहा है, उत्खनन हो रहा है, करोडों का राजस्व आ रहा है तो मल्टीस्पेसलिटी हास्पिटल हमारे क्षेत्र में क्यों नहीं बनाये, बनाओ न, हम स्वागत करेगें आपका, आप करो तो, आप करो, आप बनाओ, अच्छी सुविधा दो, माईन्स का आज हर क्षेत्र में विरोध हो रहा है, माईन्स का आज हर क्षेत्र में विरोध हो रहा है, जहां–जहां माईन्स है जहां–जहां नये माईन्स डल रहे है वहां विरोध हो रहा है, क्यो हो रहा है, कारण यही है, अगर हमें स्वास्थ्य की सुविधा चाहिए तो हमें रायपुर और बिलासपुर जाना पडेगा, दिल्ली जाना पडेगा, हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी हो तो रायपुर और बिलासपुर, दिल्ली या अन्य प्रदेशों में भेजना पडेगा, आप करो साहब, हजारों हेक्टेयर कोयला उत्खनित कर हमारे क्षेत्र से कोयला ले जा रहे हो, तो पैसे का सद्उपयोग किया जाये, आप करो यहां पे, इस क्षेत्र का विकास करो,सड़के बेहाल है, जनता बेहाल है,बिजली का हाल बुरा है, प्रतिदिवस तार टूट रहे है, लोग चिपक के मर रहे है, पानी देखने को नही मिल रहा है, पानी देखने को नही मिल रहा है, इनकी व्यवस्था करो, मुझे ऐसा लगता है जब इस प्रकार की व्यवस्था होगी

			तो क्षेत्र का जनता भी स्वागत करेगा किसी भी माईन्स का, लेकिन ये सब सुविधाऐं नहीं होगी तो हम किसी भी रुप में किसी भी खदान को या प्रकाश इण्डस्ट्रीज को यहां पे माईन्स डालने नहीं देंगें, अपने क्षेत्र की जनता के साथ अहित नहीं होने देंगें, और आपको एक बात और बताऊ कि यहां पे इस माईन्स के डालने से हमारे दो बांध, और सैकड़ो तालाब और सैंकड़ों जो डबरी है और बहुत सारे बहते हुए तालाब जो हमारे जल स्त्रोत, उन स्त्रोतों का समापन हो जायेगा, उसकी समाप्ति हो जायेगी उसका अस्तित्व खतम हो जायेगा, मुनेश्वर सागर बांध और कुरुडीह बांध दोनों का जो ढलान क्षेत्र है उस बांधों में जो पानी आता है, उसका जो बेसमेन्ट एरिया है वह एरिया ही समाप्त हो जायेगी, जब कि इन दोनों बांधों से लगभग 704 हेक्टेयर भूमि सिंचित है, अगर ये दोनों बांध खतम होते है तो अगर आप 500 लोगों को नौकरी देने की बात करते है तो वहां 5000 किसानों का बलि चढ़ जायेगा, 5000 किसान जो किसान के जो कृषि योग्य जो भूमि है वह बंजार हो जायेगी, इसलिए मेरा निवेदन है कि इस परियोजना को और इस लोक सुनवाई को तत्काल निरस्त करना चाहिए, वन सम्पदा की बात करे तो इस क्षेत्र में 04 आरक्षित और 03 संरक्षित परियोजना है, और इस क्षेत्र में 55 प्रतिशत जो क्षेत्र है वह वन क्षेत्र है और इस वन में, इस वन से ही, इस क्षेत्र के लगभग जो जन समुदाय यहां निवासरत् है, उनका रोजी रोटी उनका व्यवसाय चलता है, वो अपने गाय बैल से लेकर प्राकृतिक जो उपज है, जो वन संपदा है, वन से जो उपज प्राप्त होते है, उनसे इनका जीवन यापन हो रहा है, ऐसे समस्त जो पेड़–पौधे है, जो प्राकृतिक औषधि पौधे हैं उनकी समाप्ति हो जायेगी, और इस क्षेत्र, के लिए जो प्रस्तावित स्थल है, उस प्रस्तावित स्थल में जो वन क्षेत्र है उतना ही मुझे लगता है कि इस 10, 20 गांव के लिए वही संरक्षित जंगल है, वन है, वहीं से पर्यावरण का संतुलन इस क्षेत्र के लिए बना हुआ है, इसलिए मेरा निवेदन है कि इस परियोजना को तत्काल बन्द करना चाहिए और इस लोक सुनवाई को। एक बात इस परियोजना को अगर यहां प्रारम्भ किया गया तो मैने देखा है कि बहुत सारे परियोजना है वहां प्रतिदिवस एक्सीडेंट से लोग

			अपनी जान गवां रहे है, प्रतिदिवस लोग मर रहे है क्योंकि कोयला परिवहन के लिए बडी–बडी गाडियों का उपयोग किया जाता है, बडी–बडी गाडियों की चपेट में आकर सीधे–साधे, भोले–भाले जो गांव की जनता है वो अपनी प्राण देती रहती है, और जो पूंजीपति लोग है वो उसके प्राणों के साथ अपने पूंजियों को बढ़ाने का काम करती है, इसलिए मेरा निवेदन है कि इस परियोजना को तत्काल बन्द किया जाये और इस लोक सुनवाई को, इतना ही कहूंगा, इतना ही कह कर मै अपनी बातों को विराम दूंगा।
17	श्री ननकूराम	ग्राम–केंवरा (घोंचापारा)	बहुत प्रवक्ता लोग बोले, लेकिन जो कम्पनी का विरोध है, कम्पनी जिसको दिया जा रहा है, वो गलत है, क्यो 1975 में राष्ट्रीयकरण हुआ, उस मीटिंग में दरभंगा और रांची में, इसीलिए राष्ट्रीयकरण पूरे बेंच से लेकर इंदिरा जी ने किया कुमार मंगलम् के साथ, मैं वहां पर बैठा मिल कर गया था, उस सुधार पर कि यहां पर सर्वजानिक न्याय कि पूरे खदान जिसको एन.सी.डी.सी. बोलते थे, उसको उसीलिए खदान खुला, हर एक जगह जमुना, कोतमा,बिश्रामपुर, जगदा, पाठकखेडा, मैं हर एक जगह गया, तो एन.सी.डी.सी. का मतलब होता है, एस.डी.एम. साहब भी जानते होगें, नेशनल कोल डेव्हलपमेंट कापरेटिव को जनता की भागीदारी, अभी जो कोल इण्डिया होने के बाद आप लोग प्राईवेट को दे रहा है, न रहने का व्यवस्था, न पानी पीने का व्यवस्था, लेकिन आप लोग जन सुनवाई की जनता ये जो आप लोग के संविधान में है, आप लोग के संविधान में है आप लोग देख लीजिए कि प्राईवेट को नहीं देना है, प्राईवेट को नहीं देना है, वो कमाई करता है लाखो रुपये, हमारी पर्यावरण को नष्ट करता है, उसका 20 परसेंट शिक्षा, स्कूलों के रख–रखाव में निःशुल्क, प्राईमरी से लेकर 12 वीं तक कुछ नहीं देता है, लेकिन आप लोग इसका विरोध कोई किया, यहां तो पहले हाईस्कूल नहीं था अब हाईस्कूल हुआ, क्या व्यवस्था था सरगुजा का, लेकिन आप लोग नहीं सोचा वोट के समय और ये क्षेत्र सरगुजा क्षेत्र ट्रायबल क्षेत्र है, राजीव गांधी था, इसने आपने क्या दिया, यहां पर स्कूल नहीं था, हम लोग के टाईम में, एक चिरमिरी हाईस्कूल था जहां पैसे वाले लोग पढते थे, संविधान के तहत् आप राष्ट्रपति को लिखो,

			कलेक्टर साहब, कलेक्टर साहब, आप राष्ट्रपति को लिखो कि यह आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, वहां का जनता विरोध कर रहा है, खदान खेल लेकिन प्राईवेट, लेकिन यहां पर जो आया पैसा के बल पर, प्राईवेट को दे दिया,यहां का क्या होगा, जंगल, हम तो रह ही नहीं पायेगें, लोग यहां पर चार वर्ग दिया है, चार वर्ग ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र, यहां जितने है यह ट्रायबल क्षेत्र के दिया आप लोगों ने, एन.सी.डी.सी. दिया, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं कि आप लोग लिखे, समर्थन में मत लिखिये कि स्वीकृति हो गया, जितने भी यहां विरोध कर रहे है, मीडिया वालें भी सुन रहे है कि 1950 और वो भी 1956 में भूरिया कमेटी ने यह तय किया, मैं उसका नाम लेना चाहता हूं सरगुजा, रायगढ़,बस्तर, चितौडी,जमगला, सिरसी, शहडोल, छिन्दवाडा ये ट्रायबल क्षेत्र है, जय हिन्द, जय भारत।
18	श्री वीरेन्द्र यादव,	ग्राम पंचायत कुसमुसी	छत्तीसगढ़ महतारी की। छत्तीसगढ़ महतारी की। हमारे इस क्षेत्र में जो कोल माईन्स खोलने के लिए जो रखते है, ठीक है, खोलना आपका तय है कि खुल के ही रहेगा, जैसा भी है, लेकिन हम इनके साथ विरोध भी करते है, विरोध ये चीज को कहते है कि अगर मै जो अगर क्वेश्चन करु उसमें अगर आपके अधिकारी आये तो मेरे को जवाब दे दे तो बहुत अच्छा रहेगा, दो–तीन क्वेश्चन करना चाहता हूं कि अगर आपके बीच में अधिकारी है तो उनसे मैं क्योश्चन करना चाहता हूं, मेरे को जवाब दे माईक के माध्यम से, सर ऐसा दे सकते है क्या? माईक के माध्यम से, सर मैं कुछ क्वेश्चन पूछूगां उसका मुझे बस जवाब दे दिजियेगा, सर मैं क्वेश्चन करुंगा, उसका मुझे बस जवाब दे दिजियेगा बस। जय हिन्द। जी सर यहां कॉलरी खुलने से यह मानिये तो फायदा भी है नुकसान भी है, लेकिन हम लोग का नुकसान ही है, नुकसान ये है कि हम लोग बेरोजगार है, हम लोग के पास कोई रोजगार नहीं है अगर यहां पर खदान खुलने से कोई भी प्रदूषण फैलेगा, हमको क्षतिग्रस्त होगा, सर चाहता हूं कि एक हास्पिटल जो कि हम रायपुर, दुर्ग दुनियादारी जाते है, बाहर में ईलाज कराने वो यहां बन जाये, क्या सर ये बन सकता है? मैं सर इसको डायरेक्टली पूछना चाह रहा हूं, अगर हमारा सम्भव है, अन्त में आयेगा और मैं ये

			चाहता हूं कि एक स्कूल हो जो कि हम लोग प्राईवेट स्कूल में अपने बच्चें को पढाने के लिए भेजते है उसका व्यवस्था हो जाये जो कि हम लोग जो गरीब व्यक्ति है हम लोग के पास कुछ नहीं है सर, गरीब व्यक्ति के नाम से आते है उस हिसाब से हम लोग के बच्चे लोग पढ रहे है आगे बढ रहे हैं ऐसा कोई सुविधा हो सकता है क्या सर? अगर हो सकता है इसका जवाब नोट कीजिए, अब सर हास्पिटल के साथ–साथ ऐम्बुलेंस सुविधा तत्काल किया जाये, अगर आप तैयार है खोलने के लिए तो हम लोग बेचने के लिए भी आप लोग सोचिए सर और सर ये पिछडा वर्ग जितना भी है जिनका जमीन फंसा वो तो फंसा और जिनका नहीं फंसा और जो यही पर आते है उन लोग का क्या होगा सर उनके लिए कोई है या नहीं है, उनको नौकरी मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके लिए मैं जानकारी लेना चाह रहा हूं सर इसलिए मैं बोला कि मेरे को माईक के माध्यम से सर बताया जाये, बताया जाये, माईक के माध्यम से सर बताया जाये, क्योंकि अवगत करा सकूं, पढ़े–लिखे को व्यवस्था किया जाये, जमीन हो या न हो, यदि शासकीय जमीन को जो लेते है तो उसका वृक्ष न काटा जाये, सर हमारा 02 बांध भी इसमें प्रभावित हो रहा है कुरुडीह बांध, कुसमुसी बांध उसमें फंस जा रहा है सर इसके लिए क्या व्यवस्था किया जायेगा इसके लिए भी विशेष सुविधा का प्रावधान रखिये, सर कुछ सड़के है, अभी आप लोग आये होगें केंवरा से कुछ दूर आये, कुछ दूर रास्ता भी तो खराब है, रास्ता का कन्डीसन देखिये सर ये सब व्यवस्था होना चाहिए, सर ये सब व्यवस्था हो जाता है तो सर ठीक है, आप जो चाहते है। सर मेरा मांग चार–पांच ही था हास्पिटल, स्कूल, और तीसरा गरीब, ऐसा नही कि सर जो कर्मचारी के बच्चे आते है उन लोग का ही एडमिशन हो,उन लोग ही पढाई करे , ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हो कि हर गरीब परिवार का बच्चा वहां पढ़ सके, ऐसा व्यवस्था आप लोग कर के दीजिए तब तो ठीक है नहीं तो आपके इसमें विरोध रखते है, सर मेरा मांगे है मैं अपना वाणी को यहीं पर विराम देता हूं।
19	श्री राजदीप पैकरा	ग्राम कुसमुसी	सर लेकिन ये हमे पता है कि भारत देश कृषि प्रधान देश है, कृषि के माध्यम से ही हमारे

			किसान भाई यहां तक पहुंच पाये है, जैसे सर पता है आपको कोरोना महामारी के समय भारत की अर्थव्यवस्था गिर गई थी, तो कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र था जो भारत को उभरने में बहुत ही सहयोग प्रदान किया रहा, उस समय सारे उद्योग बन्द हो गये थे, फैक्ट्रीयां बन्द हो गई थी, रोजगार पाने वाले लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया था, आते वक्त उनको सरकार के तरफ कोई सहायता नही दिया गया था, कम्पनी की तरफ कोई सहायता नही दिया गया, मैं यही बोलना चाह रहा था तो यही बोलना चाह रहा था कि सर मैं और मैं इस प्रकाश इण्डस्ट्रीज के खिलाफ हूं, मैं कठोर निदा करता हूं सर, खुलना नहीं चाहिए सर, सर आज अगर ये खुल भी जाता है ये कोल माईन्स, इनसे जो पैसा मिलेगा सर, कब तक वह पैसे से जीवित रह सकता है सर, दिन प्रतिदिन मंहगाई बढती जा रही है सर, पहले जो हमे 10 रुपये में मिलता था वो हमें आज 20 रुपये में मिल रहा है सर,दो साल बाद कितने में मिलेगी ये बात अच्छी तरह से जानते है सर क्योंकि आप प्रशासनिक अधिकारी है सर, और आप लोग को हर जानकारी पता होती है सर, और मैं यहीं बोल रहा था सर, सर इसमें मेरा साईन लिया गया था मैं उसको हटाना चाह रहा था, मैं प्रकाश इण्डस्ट्रीज का विरोध करता हूं।
20	श्री बिन्द्रा गुप्ता	भास्करपारा	सर अधिकारी को नमस्ते कह रहा हूं, मेरा यह कहना है कि आप लोग जो भाषा बोल रहे है कि कोई भी हो आम जनता हो, नेता लोग इस भाषा को न कह के हमारा विचार को सुनना चाहिए, सुन करके उसका जवाब देना चाहिए,ये संविधान का हो चाहे राज्यसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, सभी कानून पढ़ के सब लोग आये है, कि पढ़े नहीं है तो उनको भी ज्ञान है, लोग विचार रखते है उसको शांति से रखने से हमारा व्यक्तित्व होगा, आज ये कह रहे कि पब्लिक न रहे कह कि पब्लिक जो हितग्राही है, हितग्राही को छोड़ कर के दूसरे को लेकर के बदनामी करायें तो यह अच्छा नहीं है, ठीक है चार बार यहां कॉलरी खुला है दो बार एस.ई.सी.एल. खुला है, एक बार अदानी लिये थे, एक बार दास सर बाबू लिये थे, चार–पांच बार कॉलरी खुलने का यहां निर्माण किये, इसमें जो है हमारे गांव के

			बक्सरपारा का गांव का रिकार्ड नहीं है दूसरे गांव का रिकार्ड है, क्या उन लोग नहीं देख रहे थे कि हमारे गांव का रिकार्ड हमारे गांव का ही बनना चाहिए, हमारे पब्लिक का ही बनना चाहिए, गरीबो का ही बनना चाहिए, गरीबों का हित होना चाहिए, आज जो हित के लड़ रहे है लड़ाई वो क्या लडाई है, आप यहां संविधान का बात बता रहो हो, क्या संविधान में लिखा है, क्या इनका संविधान में यह लिखा है कि गरीबों को किनारे कर के दूसरे का रिकार्ड बना कर के हम मस्ती करे हल्ला करें, हल्ला करवाना एक अलग है, हमारा संविधान का बात है तो हमें जानकारी दे कैसे लड़ें उनके हित के लिए लड़े, पब्लिक के हित के लड़े, और गरीबो के हित के लिए लड़े, जिनसे उनके विचार में उनकी आत्मा में घुसे, आज नही इतना उमर हो गया है छोटे से लेकर बच्चे थे उस समय कॉलरी का निर्माण हो रहा है, होते-होते निर्माण करवायेंगे और बन्द करवायेंगे, बन्द करवा कर के दूसरे के नाम से रिकार्ड जमीन भूमि को बेच देगें, पटेल, सरपंच जितना है पुराना बासिंदा जितना है, ठीक से कोई काम नहीं करेगें इतना कोई नहीं सोचता है कि नेता लोग हित का काम करें, ये जो है बर्बाद करने के लिए सोचते है, हमारा जमीन न हमारा कम्पनी लूट रहा है न राज्य सरकार लूट रहा है,न संविधान लूट रहा है, संविधान कहां है, संविधान तो हमारे गांव में है, राज्यसभा हमारे गांव में है,विधानसभा हमारे गांव में है, क्या इसका विचार नहीं कर सकते, बुजुर्ग लोग को चुतिया बना बना कर के ये लोग अपना राज चलाते है, सभी को ये बताते है कि हां हम जानता हूं, वो जानते है ठीक है जिनको ज्ञान नहीं है, उनको ज्ञान देना चाहिए, आराम से ज्ञान देना चाहिए, ऐसे कहने से ये लोग को ये होता है, काहे अभी चुनाव आ रहा है चुनाव के साथ-साथ खदान खुल रहा है, वो लोग इसका लाभ उठाने के लिए जनता को बुला करके गुमराह कर रहे है, हमारे जनता में ही ऐसा नहीं है, ये विचार नहीं है, वो तो जान रहा है कि बर्बाद हो रहे है, बर्बाद होने का भी एक तरीका होता है कि आप संविधान में भी जाकर बात रख सकते है, संविधान का भी यहां नेता है और यहां का भी नेता है, तो क्यों ऐसे नहीं हो रहा है, आप यहां उद्योग खोल रहे है आपका कागज वहां

			नहीं जा सकता है, क्या प्रधानमंत्री के पास नही जा सकता है उल्टा प्रधानमंत्री का आप नेता है, राष्ट्रपति का आप नेता है, वो तो कानून बनाते है, वो तो है सही, कानून सब मत का बनता है हमारे ही मत का तो कानून वहां बना के ठीका दिये, ठीका दिये तो उसको समझो भाई, आप तो जानते है दिल्ली का बात, बाम्बे का बात, सब जगह का बात करते हैं, गांव का भी बात करते है, वहां का बात नहीं जानते है, वहां जाकर आवेदन लागाईये कि हमारें फलाने कम्पनी को न देकर के हमारा कॉलरी वहां न खोला जाये, महीनों पहले खुला, वहीं हल्ला, हल्ला तो नहीं हुआ, आज वो मुहाड़ा बन गया तो उसका तो हल्ला नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ, पाण्डवपारा तो बर्बाद कर दिया पूरा जंगल बर्बाद कर दिया पूरा, पूरा जगह बर्बाद कर दिया, खोखला है, खोखला में पूरा घर बना है, वो कब धंस जायेगा तो उसको एक पैसा भी नहीं मिलेगा, विरोध जो है हमारे विरोध का है, ठीक है आप जो विरोध कर रहे है ठीक कर रहे है,वो गलत नहीं कर रहे है बाकि नियम से, जिसमें पब्लिक को राहत मिले, गरीबो को राहत मिले, बन्द तो हो जायेगा बन्द तो करें, परन्तु वहां से बन्द करे तब तो भैया, आप संविधान को वहां बन्द करिये न जिसको गलत कर रहा है संविधान में, संविधान में कौन सा ऐसा लिखा है तीन पन्ने का वो अधिकार नहीं है, यहां भी अधिकार दिये है वहां भी अधिकार देगें,हमारे जनता का अधिकार है जनता कहीं भी पंहुच सकता है, बोलने के लिए बन्द कर देता है, सारे जनता को बुलवाईये कि किस-किस कारण से आप बन्द कर रहे है, जैसे चुनाव होता है चुनाव में प्रतिनिधि बना देते है वो अपना बैठ के बिचार बना लेते है गली को कोई पुछता ही नहीं, क्यों नहीं पूछते है, काहे नहीं पूछते है, ग्रामसभा में काहे नहीं पूछते है कि ये विचार है उस विचार को रखे होते, उस विचार को रखते तो उनका यदि मंजूर नहीं होता तो यहां पर प्रधान नहीं जानने देते क्या यह सरकार के चीज को, सरकार कौन है, हम, हम पब्लिक है, हम गरीब है हम अपनी पीडा को हम यहां डाल सकते है, डालेगें, आज भी डालेगें, कल भी डालेगें, ईमानदारी जिसका रहेगा वो एक दिन शासन का चीज हमको प्राप्त करायेगा ही। ठीक है भटकावा

			में आयेगा वो समझेगा, हमको भटकावा में नहीं जायेगें, पर्यावरण का बात ये है कि हमारे पर्यावरण का बात है वो क्या है कि हम लोग का बुजुर्ग भी लगाये है पर्यावरण, हम भी लगाये है, शुद्ध होगा, उसको उखाड़ के आप बीग देगें, कब लगायेंगें, कब का करेगें, उसमें तो हमारा तकलीफ है पर्यावरण से वो तो हमारा बचेगा ही नहीं, प्लांट चल रहा है तो खोद के मशीन बीग देगा, हमारा जंगल को बर्बाद, उतना जंगल हमको प्राप्त करने में बहुत समय लगेगा, उसका हमें जवाब दें, यही मेरा बात है, सबसे निवेदन है, अपने विचार सही रखिये,मेरा जवाब दीजिए।
21	श्रीमती इन्द्रमणी,	ग्राम– बस्कर	हम लोग का यहां इतना–इतना काहे आये हुए हैं, यहां पर हम लोग खदान नहीं खोलना चाहते है, और नही खोलने देंगें हम लोग यहां, हम लोग गरीब आदमी है, कहां जायेगें कहां क्या करेगें, हम लोग यहां खदान नहीं खोलना चाहते, खदान के लिए जो यहां आये हुए है वो अपना दस्तखत कीजिए अपना घर जाईये, हम लोग यहां खदान नहीं खोलने देंगें, हम कहां जायेगें खदान खोल के, हम लोग को सरकार कहां से जिलाऐगा, कहां पर जियेगा हम लोग को, हम लोग यहां खदान नहीं खोलने देंगें, नहीं खोलने देंगें,हम लोग को सरकार बताये यहां पर दे रहे है घर जमीन, जितना हमारा जमीन जितना है, जितना गाय छेरी है, जितना सब हम लोग का है उतना नही हम लोग नहीं चाहते है, न ही खदान खोलने देंगें, न हम लोग खदान से राजी नहीं है तो नहीं है हम लोग, सीधा बात हो गया।
22	श्रीमती तिजो बाई	ग्राम–खड़पारा	हमारा खड़पारा का खदान नहीं खुलने देगे, अउ हमार दु ठे बाल बच्चा है, हमर पूरखा हर सरकारी जमीन में बसे है और आज हम लोग को हटा देगा तो हम कहां जाकर रहेगें अपना बाल बच्चा लेके, खदान नहीं खुलने देंगें।
23	श्रीमती सोमरिया,	ग्राम–बस्करपारा	हम लोग खदान नहीं खुलने देंगे, नहीं खुलने देंगे।
24	श्रीमती इन्द्रकुमारी	ग्राम–खड़पारा	सर यहां खदान नहीं खुलने देंगे।
25	श्रीमती सोनकुंवर	ग्राम–खड़पारा	हम विनती करते है सर, हमारा छोटा–छोटा सा झोपडी है, हम गरीब आदमी है, और गरीब आदमी को इतना दुःख मत दीजिए,हमारे गांव में कॉलरी मत खोलिये।

26	श्रीमती बिहानी बाई	ग्राम–खड़पारा	घर टूट जायेगा तो कौन जिम्मेदारी लेगा, मै कहती हुं कि कॉलरी नहीं खुलने देंगे।
27	श्री राधेकृष्ण	ग्राम–कुसमुसी	सर मै यह कह रहा हुं कि मेरे पास लम–सम 50 डिसमिल के आस–पास जमीन है,प्रकाश इण्डस्ट्रीज के कोई भी अधिकारी होगें उनसे बात करना था सर, नहीं सर बात करना था, सर अपने पास इतना जमीन है 50 डिसमिल के आस–पास तो इसको सर जगह में खुल जायेगा तो हम लोग कहां जायेगें सर।
28	श्रीमती फूलमती	ग्राम–खड़पारा	सर हम लोग का छोटा–छोटा बच्चा है और उतना खेती–बाड़ी भी नहीं है, यहां खदान नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, यहां खदान नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी।
29	श्रीमती श्रीमती	ग्राम–धरसेंडी (खुदरीपारा)	हम लोग का जगह जमीन ज्यादा नहीं है, हम खदान नहीं खुलने देंगी, नहीं खुलने देंगी, नहीं खुलने देंगी, नहीं खुलने देंगी।
30	श्रीमती सविता काशी	ग्राम–केंवरा	देखिये, पैसा तो आप दे देंगें, इतना उंचा पैसा देंगें जिसमें तो हमारा जिन्दगी कट जायेगा, मगर हम लोगों का जो बच्चा है उन लोगों का क्या होगा, आप बताईये, इसीलिए हम यही बोलते है कि हम लोगों के गांव का नष्ट नहीं किया जाये, इसमें कॉलरी नहीं खुलनी चाहिए जो गांव का पढ़ा–लिखा है उसको तो आप नौकरी दे देंगें, हम लोग तो अनपढ़ गंवार हम लोग को क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा हम लोग को, इतना पैसा धरा देगे, इतना पैसा धरा देगे हम लोग तो अपना जिन्दगी जी लेगें लेकिन बच्चे लोग कहां भटकेगें, उन लोगों को सोचिए, आप लोग बताईये, आप लोग बहुत अच्छे–अच्छे इंसान है, पढ़े–लिखे इंसान है, लेकिन आप ही लोग इसका जवाब दे सकते है।
31	श्रीमती कन्या बाई	ग्राम–बस्कर	हम लोग आये हैं, हम लोग के गांव में खदान नहीं खुलना चाहिए, हम लोग खदान के बारे में विरोधी कर रहे है, अपने गांव में हम खदान नहीं खुलने देंगें, अपने गांव में हम खदान नहीं खुलने देंगें।
32	श्री प्रमोद प्रताप सिंह	ग्राम–बस्कर	मैं यही चाहूंगा कि किसानों के हित में होना चाहिए और खदान खुलना चाहिये।

7 उपरोक्त वक्तव्यों के बाद अनुविभागीय दण्डाधिकारी तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय से अनेक बार अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया। किंतु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ, तब अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों एवं जिज्ञासाओं के निराकरण/जवाब हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

8 परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री ए.के. चतुर्वेदी, द्वारा परियोजना के सम्बंध में लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये मुख्य मुद्दों एवं जिज्ञासाओं के निराकरण हेतु उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया, जो कि निम्नानुसार है :–इस परियोजना में कुल 515 हेक्टेयर जंगल आता है, जिसमें करीब 313 हेक्टेयर खुली खदान है, बाद बाकी भूमिगत खदान है। जो खुली खदान है, उसमें जो वृक्षों की गणना की गई है, वो करीब 7500 है, 313 हेक्टेयर में। बाद बाकी भूमिगत खदान में 5000 पेड़ है, जिनका किसी प्रकार से कोई भी दोहन नहीं किया जायेगा। ये जो 7500 वृक्ष है, परियोजना की लाईफ 28 वर्षो की है, इन 28 वर्षो में काटे जायेगें न कि ये 01 साल, 02 साल, 03 में काटे जायेगें। अगर आप 7500 वृक्षों को 28 साल में देखें तो हर साल करीब 500–600 पेड़ आते है, इससे ज्यादा वृक्ष नहीं काटे जायेगें, और हम आपको ये आश्वासन देते है कि यदि 01 वृक्ष काटा जायेगा तो उसके बदले में कम से कम हम 20 वृक्ष लगायेंगें, उससे कम नहीं लगायेंगें, और परियोजना में ही लगायेंगें, और जो वन भूमि है उसमें राज्य शासन और भारत शासन का एक नियम है यदि आप खदान में 01 पेड़ काटते हैं तो, 01 हेक्टेयर में 1000 पेड़ लगायेंगें। खदान के चारों ओर जो हमारी सेफ्टी जोन है, उसमें जो हमारी कॉलोनी बनेगी और जो ग्राम पंचायत एवं जन प्रतिनिधि बतायेंगें वहां पर 50000 पेड़ लगाये जाने का प्रावधान इस परियोजना में रखा हुआ है। परियोजना के अन्त तक परियोजना में 4 से 4.5 लाख पेड़ लगाये जायेगें, वन भूमि के बदले जो दूसरी जगह वन भूमि दे रहे है उसमें 3.5 लाख पेड़ लगाये जायेगें। जिसका पैसा हम राज्य शासन को खदान शुरु होने से पहले ही जमा करायेगें। पर्यावरण का पूरा ख्याल रखा जायेगा, किसी तरह से कोई नुकसान नहीं होगा। बैक फिलिंग में हम पेड़ लगाते जायेगें, राज्य शासन और भारत शासन की कई ऐसी एजेन्सी है जो इसको मॉनिटर करती है, इसमें माईन प्रोजेक्ट प्लान होता है, जिसका पैसा भारत शासन हमसे एडवांस में जमा कराती है, और इसकी एक संस्थान है, कोल कन्ट्रोलर ऑफ इण्डिया जो इसको मॉनिटर करती है, और वो हर साल आकर देखती है कि आपने परियोजना में जो स्वीकृति हुई है उसके हिसाब से आप पेड़ लगाये है या नहीं। जितनी भी निजी भूमि ली जायेगी खदान परियोजना अन्तर्गत आयेगी हम किसी भी भूमि का अधिग्रहण नहीं कर रहे है, हम केवल सर्विस राईट लेगें, खदान बन्द होने के पश्चात वह भूमि समतली कर कृषि योग्य बना के उन्ही को वापस किया जायेगा। परियोजना की स्वीकृति 18 नवम्बर 2021 को हुई है, उस परियोजना की स्वीकृति से 03 साल पहले तक कब्जाधारी को राजस्व विभाग के अधिकारी तय करेगें, उनको मुआवजा मिलेगा, जिसकी जमीन जायेगी उनको शत्प्रतिशत नौकरी का प्रावधान है।

और जितनी भी टीका–टिप्पणी प्राप्त हुई है उसका लिखित जवाब देंगें। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लोक सुनवाई के दौरान जन समुदाय के द्वारा उठाये गये सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों आदि के संबंध में लिखित में जवाब प्रस्तुत किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक के जवाब उपरांत श्री नरेन्द्र पैकरा (ए.डी.एम. सूरजपुर) एवं श्री सागर सिंह, अनुविभागीय दण्डाधिकारी (रा0), भैयाथान, जिला–सूरजपुर द्वारा ग्रामवासियों के शांतिपूर्वक पर्यावरण जनसुनवाई कार्यक्रम में अपना सहयोग दिया गया, ग्रामवासियों के द्वारा टीका टिप्पणी सुझाव प्रस्तुत किया गया। सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार आदि की समस्या है। इस पर भी पहल किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक के द्वारा भी सभी बातों को बताया गया, आने वाले दिनों में भी ग्रामवासियों की जो भी समस्या रहेगा। उसका निराकरण प्रशासन के द्वारा और परियोजना प्रस्तावक के माध्यम से भी उसका हल करने का प्रयास किया जायेगा, आप सभी लोगों ने पर्यावरण जन सुनवाई में सहयोग दिया, भाग लिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद ज्ञापन के साथ लगभग अपरान्ह 02:35 बजे अनुविभागीय दण्डाधिकारी (रा0), द्वारा लोकसुनवाई की कार्यवाही समापन की घोषणा की गई।

9. लोकसुनवाई स्थल पर लिखित में सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां 06 प्राप्त हुई है। लोक सुनवाई के दौरान उक्तानुसार 32 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गई। लोक सुनवाई के पूर्व इस कार्यालय में 03 नग सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां प्राप्त हुई, जिसका जवाब परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिया गया है। लोक सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से अभिव्यक्त सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों आदि को अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई के दौरान लगभग 1500 व्यक्ति उपस्थित थे जिनमें से उपस्थिति पत्रक पर कुल 249 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं। आयोजित लोक सुनवाई के समस्त कार्यवाही की वीडियोग्राफी की गई।

सलंग्न–उपरोक्तानुसार।

09/11/22

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल
अंबिकापुर, (छ.ग.)

09/11/22

अनुविभागीय अधिकारी (रा0),
भैयाथान, जिला–सूरजपुर (छ.ग.)